खण्ड–2, अंक–2
गुरुवार, 13 बैशाख शक संवत् 1923
(03 मई, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(अनन्तिम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2001)

(खण्ड 2 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-22
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	22
देहरादून के घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित शव विच्छेदन गृह से आसपास का वातावरण दूषित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22-23
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएँ	23
सदन के बाहर कि गई पर्यटन नीति की घोषणा के संबंध में औचित्य का प्रश्न	23-25
रिस्पना पुल के नजदीक लगे सूचना विभाग के बोर्ड के संबंध में औचित्य का प्रश्न कार्यस्थगन की सूचना	25-28
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्यय का प्रस्तुतीकरण	28
उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2001 (पारित)	28-33
उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत धनराशि की मंजूरी (पारित)	34-42
निधन के निदेश	42
बद्री-केदार जा रहे यात्रियों की बस दुर्घटना में मृत्यु के सम्बन्ध में शोकोद्गार	42-43
स्वर्गीय केसरी चन्द्र शहीद दिवस में श्रद्धांजलि	43-46
श्री गोविन्द सिंह बिष्ट एवं श्री पूरन चन्द्र आर्य के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि	46-53
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	54

उपस्थित सदस्य

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अम्बरीष कुमार
3–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4–श्री ईसम सिंह
5–श्री केदार सिंह फोनिया
6–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7–श्री काजी मो० मोहिउद्दीन
8–श्री के० सी० सिंह "बाबा"
9–श्री तिलक राज सिंह बेहड़
10–श्री तीरथ सिंह रावत
11–श्री नारायण सिंह राणा
12–श्री नारायण राम दास
13–श्री नित्यानन्द स्वामी
14–श्रीमती निरूपमा गौड़
15–श्री प्रकाश पन्त
16–श्री बिशन सिंह चुफाल
17–श्री भगत सिंह कोश्यारी
18–श्री भारत सिंह रावत
19–श्री मातबर सिंह कण्डारी
20–श्री मुन्ना सिंह चौहान
21–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
22–श्री रघुनाथ सिंह चौहान
23–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
24–श्री राजेन्द्र सिंह
25–श्री राम सिंह सैनी
26–श्री लाखी राम जोशी
27–श्री बंशीधर भगत
28–श्री सुरेश चन्द्र आर्य
29–श्री हरबंश कपूर
30–श्री ज्ञान चन्द

गुरुवार, दिनांक 3 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में पूर्वान्ह 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर : अल्पसूचित प्रश्न

उत्तरांचल में चालू परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता

श्री अम्बरीष कुमार–

क्या विद्युत मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में कुल कितनी विद्युत परियोजनायें अधूरी हैं?

इनमें कितनी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु अनुबन्ध उ0 प्र0 सरकार द्वारा पूर्व में किये जा चुके हैं?

क्या उत्तरांचल सरकार इन अनुबन्धों की पुनर्समीक्षा कर रद्द कर निजी क्षेत्र के स्थान पर स्वयं अथवा टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के माध्यम से कार्य कराने पर विचार करेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

सिंचाई एवं उर्जा मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

उत्तरांचल में कुल 4 वृहत परियोजनायें क्रमशः मनेरी भाली स्टेज–2, लखवाड़ ब्यासी, श्रीनगर एवं विष्णुप्रयाग परियोजनायें अधूरी हैं।

श्रीनगर एवं विष्णुप्रयाग परियोजनाओं को उ0 प्र0 सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित करने के लिये अनुबन्ध किये गये हैं।

उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये पूर्ववर्ती राज्य उ0 प्र0 द्वारा किये गये अनुबन्धों तथा उ0 प्र0 के साथ ऊर्जा बंटवारा के विषय पर होने वाले करार के आधार पर परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

चालू परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि चालू परियोजनाओं की अलग–अलग उत्पादन क्षमता कितनी है, कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और उसमें कितनी लागत आयी है, कितना कार्य शेष है और कितनी लागत उसमें आयेगी?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जो वृहद परियोजनाओं का आपने वर्णन किया है, उसमें यह जो टिहरी परियोजना है, उसे केन्द्र सरकार बना रही है। इसमें लगभग 5 हजार करोड़ की लागत का अनुमान है जो मूल अनुमानित लागत थी वह लगभग 2 हजार करोड़ की थी। यह जो मनेरी भाली स्टेज–2 परियोजना है इसमें 167 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और यह

करीब 15 साल से बन्द पड़ी है और इसकी अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये की है जो कि हम खर्च करेंगे। सिविल वर्क का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। यह अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1000 करोड़ रुपये तक भी जा सकती है। लखवाड़ व्यासी परियोजना, इस पर भी ढाई सौ करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है इसे भी बन्द हुए काफी समय हो गया है और इसमें भी अनुमान यह है कि 1200 करोड़ के लगभग खर्च होगा। ये दोनों परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें पुनः शुरू किया जा सकता है।

श्रीनगर और विष्णुप्रयाग परियोजनाएं उ0 प्र0 सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को अनुबंधित कर दी गयी हैं। उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए धारा 79 के हिसाब से उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, क्या उ0 प्र0 सरकार ने अनुबन्ध में यह निर्धारित किया है कि जो बिजली मुफ्त मिलेगी, वह कितनी है? वह उत्तरांचल को मिलेगी या उ0 प्र0 को?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जो भी योजनाएं हमारे क्षेत्र में हैं केन्द्र सरकार का यह सामान्य नियम है कि जिस राज्य में जल विद्युत योजना स्थापित होती है उसे 12 प्रतिशत उस योजना में से मिलता है। निश्चित रूप से 12 प्रतिशत उनसे मिलना चाहिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि मनेरी भाली स्टेज–2 जो लगभग 800 करोड़ रुपये की परियोजना है और लखवाड़ व्यासी लगभग 1200 करोड़ रुपये की परियोजना है, इसमें आपने बताया कि मनेरी भाली स्टेज–2 में 167 करोड़ रुपया (लगभग पौना दो सौ करोड़ रुपया) खर्च हो चुका है और लखवाड़ व्यासी परियोजना में 250 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने कोई फेजिंग की है, कोई फेज प्रोग्राम इस बात के लिए निर्धारित किया है कि कितनी अवधि में वे इन दोनों परियोजनाओं को पूर्ण करा लेंगे।......

मान्यवर, क्या इसके लिए वित्तीय प्रावधान कर दिया गया है, या नहीं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इन दोनों परियोजनाओं के बारे में, एक के बारे में मैंने पहले भी बयान दिया था जो फेजिंग माननीय सदस्य ने किया है कि कितने निर्धारित समय में हम उसको शुरू कर देंगे। हमारा समझौता उ0 प्र0 सरकार से कुछ मामलों में हो गया है तथा अन्तिम समझौता होना है। ज्योंही अन्तिम समझौता हो जाएगा हम समय सीमा तय कर लेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, क्या इसके लिए कोई समय सीमा रखी गई है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

इसकी फाइनली फेंजिंग की बात माननीय सदस्य ने कही है, वो अभी प्रोसेस में है उसके लिए धन का आवंटन कर दिया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मनेरी भाली स्टेज–2 और लखवाड़ व्यासी परियोजनाएं काफी लम्बे समय से लम्बित हैं। इन पर काफी पैसा भी व्यय हो चुका है, तो इसी आधार पर आप इन्हें बन्द कर दें। मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आती हूं। श्रीनगर एवं विष्णुप्रयाग परियोजनाओं को उ0 प्र0 सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित करने का अनुबंध हुआ है। उसका क्या आधार बनाया गया है। क्या निजी क्षेत्र में वहां के ऊर्जा मंत्री ने जो अनुबंध किया है, क्या हम उसे रिवाइज करने के बारे में विचार कर सकते हैं। जिन शर्तों के आधार पर उन्होंने निजी क्षेत्र में दिया है तो क्या उत्तरांचल सरकार अपने हित में रिवाइज करने पर विचार करेगी। ये परियोजनाएं कब तक पूर्ण हो जाएंगी। चूंकि ये परियोजनाएं उत्तरांचल में स्थापित हो रही हैं इसलिए अपने लाभ की दृष्टि से उनकी जो शर्तें हैं उनको जानें। यहां लगने वाले निजी उद्यमी उ0 प्र0 के करार पर चलते रहें इससे बेहतर होगा कि हम उनकी शर्तों को रिवाइज करें और समय सीमा निर्धारित करें। तो माननीय मंत्री जी ने इस पर गौर किया हो तो बता दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जो अनुबंध हुए हैं, विधेयक हुआ है। दोनों परियोजनाओं में से एक परियोजना विष्णुप्रयाग ने पर्याप्त प्रगति कर ली है। मान्यवर, इतनी बड़ी परियोजना को हम अपने संसाधनों से नहीं चला सकते हैं। हमारे पास न तो इतनी पूंजी है कि हम बड़ी परियोजनाओं को शुरू कर सकें। हम भारत सरकार के पी0एस0यू0 जैसे एन0एच0पी0सी0 और जे0एच0पी0सी0 तथा निजी क्षेत्र से भी कार्य करा सकते हैं। पी0एस0यू0 और निजी क्षेत्र की परियोजनाएं जिस प्रदेश में लगती हैं उसका 12 प्रतिशत उस प्रदेश को मिलता है। मान्यवर, यह नियम है। निजीकरण करने पर हमें कोई नुकसान नहीं होगा।

...... मान्यवर, क्षेत्रीय लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है हमारा डेवलपमेंट हो रहा है चारों ओर इसका इम्पैक्ट है। मैं सोचता हूं कि आपको जिज्ञासा है तो बतायें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

आपने एन0एच0पी0सी0 का जिक्र किया है। मेरी भी यही शंका है कि प्रश्न की दृष्टि से नहीं है राज्य हित में बिजली देने की दृष्टि से है। एन0एच0पी0सी0 में आप भी गये थे, एन0एच0पी0सी0, टनकपुर में मुझे भी जाने का दो–तीन दिन पूर्व अवसर मिला वहां के अधिकारियों का यह कहना है कि एन0एच0पी0सी0 लोहिया पावर इसके बारे में बात नहीं हुई और भारत सरकार के एन0एच0पी0सी0 जिन्हें ले सकता है। क्योंकि यहां नो आबजेक्शन उ0 प्र0 की सरकार अनापत्ति प्रमाण–पत्र देगी तब एन0एच0पी0सी0 लेगी। हम विद्युत के संकट के समाधान के लिए एन0एच0पी0सी0 की भारत सरकार से उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकार भारत सरकार से वार्ता कर जो वह लेना चाहते हैं और हम राज्य हित में उचित समझते हैं कि क्या इस पर कोई बैठक करना उचित समझेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, चाहे पी0ए0 सूज हों, एन0एच0पी0सी0, डी0एच0डी0सी0 और भी संस्थान हैं उन सबके साथ भी हमारी वार्तायें चल रहीं हैं। इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में चल रही हैं, जो क्षेत्र के हित में होगा उसको हम प्रिफ्रेन्स देंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारा जो नवसृजित राज्य है उसमें बिजली उत्पादन की बहुत क्षमता है तो इन परियोजनाओं को पूरा करने में कितना धन लगेगा, यदि धन आपके पास नहीं है तो क्या मेरे सुझाव पर आप विचार करेंगे। आप इस स्टेट के हित में, यहां के विकास के हित में, पब्लिक बाउन्ड जनता के हित में प्रसारित करें और उनसे पैसा आपके पास आया है इन परियोजनाओं को तत्काल पूरा करने में आप विचार करेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इन सभी बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है बहुत जल्दी ही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उत्तर प्रदेश से जो कि हमारा एक छोटा सा 1/3 का समझौता हो जाता है। कुछ चीजें रह गई हैं शायद इस सत्र के बाद समझौते में फाइनल कर देंगे कुछ उसके बाद। एक स्पष्ट नीति आपके सामने लायेंगे, स्पष्ट बिजली नीति जो सारी बातें आप लोग बोल रहे हैं जो आपके सुझाव होंगे वे सुझाव में समाहित होंगे।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में कुछ ऐसी परियोजनायें हैं जो लघु जल विद्युत परियोजनायें हैं उनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है वह भी प्रस्तावित हैं, तो क्या उनके बारे में मा0 मंत्री जी जानकारी देंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लघु विद्युत योजनायें हैं दो प्रकार से चल रही थी। कुछ विभाग हमारे चल रहे थे कुछ को, जो विभाग द्वारा प्रस्तावित हैं उनका आकार संख्या चाहेंगे तो उसका डिटेल मेरे पास है कहिये तो खोल के पढ़ दूं, आप डिटेल ले लीजिए लेकिन वैसे मैं संख्या बोल देता हूं। लगभग 11 छोटी योजनायें हैं और 23 बिल्कुल छोटी योजनायें हैं जो अत्यन्त पुरानी हैं। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि माननीय मंत्री जी बार-बार गर से ग्लोगिक चूँकि यह हिन्दुस्तान का सबसे पुराना जल विद्युत 1907 का इसी देहरादून में है उसको ठीक करना चाहिए बहुत दिनों बन्द पड़ी थी ग्लोगिक 1907 की योजना थी वह मैंने शुरू कर दी है इसी प्रकार से नैनीताल का 1922 का है का शिलान्यास कर रहे हैं उसके बाद का है उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं आवंटन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी योजनायें चाहे लघु क्षेत्र में हों चाहे बृहद क्षेत्र में हों अधिकतम उनको दे सकें। जहां तक पैसे का सवाल बताया था पैसे की हम व्यवस्था करेंगे हम लोगों को बहुत से आफर मिल गये हैं। लेकिन फाइनली एक बार पॉलिसी तय कर लेंगे उसे तब जाकर शुरू करेंगे।

श्री ज्ञान चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मनेरी भाली स्टेज–2 जिसका लगभग 70% काम पूरा हो चुका है वे सरकार क्या इस परियोजना को पूरा करेगी। एन0एच0पी0सी0, टी0एस0डी0सी0 या विभागीय कर्मचारियों द्वारा इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे ऐसा माननीय, मंत्री जी ने कहा है। मान्यवर मैं मनेरी भाली के बारे में पहले कह चुका हूँ हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यदि हमारे पास ज्वाइन्ट वैंचर में पंजाब सरकार के दूसरी सरकार के बारे में आ रहे हैं। प्राइवेट में बहुत से आ रहे हैं क्योंकि अभी व्यवस्था करने में लगे हैं कोशिश हमारी यह है कि हमारे विभाग के द्वारा हो अगर नहीं होगा तो ज्वाइन्ट वैन्चर हो जायेगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके दूसरे अंश में लिखा है श्रीनगर एवं विष्णु प्रयाग परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियोजित क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अनुबन्ध किये गये हैं। तो एक बात श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इन 2 परियोजनाओं के जो निजी क्षेत्र में अनुबन्ध किये गये हैं, इसको पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और एक महत्वपूर्ण सवाल श्रीमन् जो इसी से पैदा होता है कि इन परियोजनाओं को जिनके निर्माण के लिए हम लोगों ने निजी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुबन्ध किया है। इन परियोजनाओं में कितने परसेन्ट का काउन्टर गारण्टी सरकार की तरफ से देने का प्राविधान किया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मुझे ठीक काउन्टर गारण्टी का ध्यान नहीं है हमने इसमें सम्बन्धित क्षेत्र में डिटेल्स पढ़ी। हम स्टे लेंगे कि उत्तर प्रदेश ने ही इसकी गारण्टी की है और वह विधान में लिखा है। इस विधेयक में अगर कोई बात है तो मुझे बतायें उसमें संशोधन यदि कोई आवश्यक होगा तो वह हम करेंगे। उसमें कोई बात नहीं है, परन्तु वह उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को ही बिजली देनी है हम को उसमें 12 परसेन्ट की रोयल्टी मिलनी चाहिए, हम उसके अधिकारी हैं इसलिए मैं उस विषय पर मैं नहीं सोचता कि हम कोई चिन्ता करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मैं श्रीमन् अनुरोध कर रहा था कि एक तो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अभी तक अनुभव यह बताता है। चाहे वह लखवाड़ परियोजना हो या विभिन्न परियोजनायें हैं वह समय सीमा के निर्धारण नहीं होने की वजह से लम्बित रहती हैं, बाद में फिर कम्पनी और ठेकेदार्स सरकार के खिलाफ किसी न किसी विधिक रास्ते को अपनाके दावे उनके लम्बित रहते हैं। आज लखवाड़ परियोजना के अन्दर 80 करोड़ रुपये का दावा सरकार के ऊपर है आर्बिट्रेशन का, तो मैंने इसीलिए यह प्वाइंटेड सवाल पूछा कि क्या निजी क्षेत्रों को भी यह समय सीमा नहीं दे सकते थे कि क्या उनकी जब मर्जी हो 50 साल में पूरी करें क्या उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, कितने परसेन्ट की काउन्टर गारण्टी है और एक श्रीमन् मैं महत्वपूर्ण प्रश्न यह जानना चाहता हू कि जिन माननीय मंत्री जी

ने उत्तर दिया कि आपने स्वयं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं कि इन वृहत परियोजनाओं को स्वयं अपने संसाधनों से पूर्ण करा सकें तो मैं यह भी जानना चाहूँगा कि कितने निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश का प्रस्ताव अभी तक शासन को प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री (श्री नित्यानंद स्वामी)–

अगर आप इसके ऊपर पूरी चर्चा चाहें तो हम तैयार हैं, लेकिन आज जो प्रश्न की सीमा है उसके ऊपर 10–15 प्रश्न हो गये और उत्तर भी आ गये तो इसके ऊपर न जायें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि निजी क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं लिहाजा इस उत्तर से अनुपूरक प्रश्न पैदा होता ही है। यह प्रश्न माननीय मंत्री जी के उत्तर से पैदा हुआ इसलिए मैंने पूछा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने आपको पहले कहा कि यह उत्तर प्रदेश से अनुबन्ध है और विधेयक के अनुसार हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम को 12 परसेन्ट रोयल्टी मिलनी चाहिए।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जो निजी क्षेत्र में परियोजनायें बन रही हैं उनके विषय में अनुबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया और हमको मात्र 12 परसेन्ट विद्युत इनसे मिलनी है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये अनुबन्धों तथा उत्तर प्रदेश के साथ ऊर्जा बंटवारे के विषय पर या करार के आधार पर यह परिक्षणोपरान्त यह घोषित किया जायेगा। मान्यवर, अब तो यह क्वेश्चन खुला प्रश्न है कि जब उत्तर प्रदेश से हमारा बटवारा हो गया और उसके बाद यह तय हो गया कि यह जो अनुबन्ध निजी क्षेत्रों से किये गये हैं यह सारा हम को ही मिलता तो यह सहभागिता है। जिन शर्तों से उत्तर प्रदेश बंधा हुआ है उन शर्तों से हम भी बंधे होंगे।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि उन शर्तों से हम अलग हैं और अपने हिसाब से उन अनुबंधों को पुनरीक्षित कर लेंगे या उनसे ही बंधे रहेंगे तो काउण्टर गारण्टी क्या होगी? माननीय मंत्री जी बताएं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें काउण्टर गारण्टी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, हमें तो केवल उसमें से 12 प्रतिशत बिजली लेनी है। काउण्टर गारण्टी तो तब मिलती जब यह अनुबंध हमने किया होता, यह अनुबंध तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है।

श्री अम्बरीश कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक तरह से यह साफ कर दिया कि ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में ही रहेंगी क्योंकि उन्होंने अनुबंध कर लिया है, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अगर किसी का अनुबंध विधान के हिसाब से पहले हो चुका है तो अब आप या तो उसके लिए कोई सजेशन दें कि इस–इस विधान से आप लड़िये। यदि आपके पास कोई सजेशन है तो अलग से सुझाव दीजिए, उस पर चर्चा अलग से कर लीजिए। उत्तरांचल के हित में अगर आपको लगता है कि वैधानिक रूप से एक–दूसरे से सम्बन्ध बनाये रखने के हिसाब से अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप लिख कर दे दें, उस पर बात कर लेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय अम्बरीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न इस बात का किया कि यदि केवल यह होगा कि हमारा टेरेटरी यूज हुआ है, केवल रॉयल्टी या जो कुछ भी आप उसे कह रहे हैं, न हमारी कोई काउण्टर गारण्टी होगी न ही अनुबंध का कोई अधिकार होगा तो निश्चित रूप से इस परियोजना का स्वामित्व लीज–आउट हो गया। यह हमेशा उ0 प्र0 के पास ही रहेगा। यह एक गंभीर सवाल है इसलिए हमारा कहना यह है कि यह उत्तरांचल की सीमा में है लिहाजा उ0 प्र0 के साथ जो अनुबंध हुआ है, उसे उत्तरांचल के साथ किया हुआ अनुबंध समझा जाना चाहिए। इस दिशा में प्रयास किये जाने चाहिए। अगर आप उ0प्र0 से हुआ अनुबंध स्वीकार करते हैं तो वह उ0 प्र0 का हो गया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये सारे पीएश्यूज चाहे प्राइवेट के हों, अगर हम भी कल किसी से समझौता करते हैं तो वो अगर प्राइवेट कम्पनी चला रही है, सारा पैसा प्राइवेट कंपनी खर्च कर रही है, तो वो सारी प्राइवेट दुकानें उत्तरांचल सरकार की थोड़े ही हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष–

चूँकि यह विषय अत्यंत गंभीर है इसलिए इस पर नियमानुसार आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूँ।

आई0 टी0 आई0 की प्रवेश परीक्षाएं उत्तरांचल सरकार द्वारा कराया जाना

डा0 इन्दिरा ह्रदयेश–

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि आई0टी0आई0 की प्रवेश परीक्षाएं अभी उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही हो रही है?

क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि लगभग 20 हजार परीक्षार्थियों के प्रवेश फार्म का शुल्क 100.00 रु0 प्रति परीक्षार्थी की दर से उत्तर प्रदेश में ही जमा हो रहा है?

यदि हां, तो उत्तरांचल सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हां।

लगभग 15 हजार अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का शुल्क उत्तर प्रदेश में ही जमा हुआ है।

आगामी प्रशिक्षण सत्र से परीक्षायें उत्तरांचल सरकार द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी ने सभी स्वीकार कर लिया। जी हां। आई0टी0आई0 की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से हो रही हैं और 15 हजार अभ्यर्थियों ने अपना शुल्क भी उत्तर प्रदेश में जमा किया, आगामी प्रशिक्षण सत्र से लेंगे ही लेंगे। मान्यवर, इसीलिए मैंने यह ध्यान भी आकृष्ट किया और प्रश्न भी किया कि आई0टी0आई0, जिनकी पर्याप्त संख्या उत्तरांचल में है, उनकी प्रवेश परीक्षाएं 6 माह पूरे हो जाने के बाद भी हम क्यों नहीं मैनेज कर पाये और नम्बर दो जो शुल्क प्रवेश का हमें मिलता था, आपने 15 हजार लिखा, मुझे संख्या 20 हजार दी गयी, तो जो भी 15 या 20 हजार लोगों ने पैसा जमा किया वो उत्तर प्रदेश में इसलिए हुआ जब परीक्षा वो लेंगे। हमने आई0टी0आई0 के बारे में काफी तरह का विवाद चला। आई0टी0आई0 की प्रवेश परीक्षा के प्रति यह उदासीनता 6 माह पूरे होने के बाद भी, केवल सचिव और डायरेक्टर को निर्देशित करना था, आप ने अब तक डायरेक्टर जिसका हेडक्वार्टर हल्द्वानी में होना था, वह आज तक नहीं भेजा गया है। यदि ऐसे व्यक्ति को जो 3–3 काम देख रहा है, और अटैचड अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। देहरादून में सर्वाधिक आई0टी0आई0 हैं और उनका महत्त्वपूर्ण कार्य है, प्लेसमेण्ट एजेन्सीज उनको अच्छी नौकरी देती हैं। इसके बावजूद भी हमने आई0टी0आई0 की परीक्षाओं को उपेक्षित क्यों रखा और क्यों हम उनके प्रवेश अभी लम्बा समय नहीं हुआ, एक माह पूर्व उनके फार्म भरे गये हैं, उनके प्रति आपका विभाग क्यों उदासीन रहा।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन, हमारे राज्य में आई0टी0आई0 संस्थानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तथ्य से हम सभी अवगत हैं। इसमें उदासीनता की कोई बात नहीं है। किसी भी चीज को शेप में आने के लिए समय चाहिए। अभी तक आई0टी0आई0 की जो प्रवेश परीक्षा होती थी, वह राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित की जाती थी। इसके लिए एक व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का गठन किया जाना है। यह परिषद् किस तरह बनेगा, इसके कौन–कौन से सदस्य होंगे, विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम विद्यार्थियों की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। परिषद् के जो सदस्य होंगे उनकी एकेडमिक क्वालीफिकेशन क्या हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही जल्द लगभग एक माह के अन्दर परिषद् का गठन हो जाएगा।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। यह सामान्य प्रश्न है यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए उन्हें कुछ विशेष करना पड़े। इसके लिए उन्हें सिर्फ एक आदेश जारी करना है। यह कहना कि परिषद् का गठन अन्तिम चरण में है। अपने बच्चों को बाहरी राज्य के परिषद् में परीक्षा देने के लिए ढकेल देना उचित नहीं है। आज जो बच्चे उ0प्र0 में चयनित होंगे क्या उन्हें वरीयता दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो घोषणाएं की हैं। मेडिकल कालेज पंत नगर में 85 प्रतिशत बच्चे उत्तरांचल के लिये जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। 85 प्रतिशत के लिए हर कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता है। इस घोषणा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्पूर्ण विपक्ष एवं सत्ता पक्ष ने बधाई दी। इस घोषणा से कई तरह के प्रश्न भी उठेंगे कि क्या आई0टी0आई0 में जो प्रवेश होगा वह मेरिट के आधार पर होगा। उ0प्र0 में जब यह मेरिट परीक्षा होगी तो क्या उत्तरांचल के बच्चों को वहां वरीयता दी जाएगी।

श्री केदार सिंह फोनिया–

अभी से यह सोचना कि अगले वर्ष भी अपनी परीक्षा हम उत्तरांचल में नहीं करा पाएंगे, यह तो डिफिटिस्ट टेंडेंसी है।

मान्यवर, अब तो माननीय सदस्य को यह सोचना भी नहीं चाहिए। हम तो यह कह रहे हैं कि एक महीने के अन्दर हम अपना परिषद् का गठन कर देंगे। अगले साल तो यहीं होंगी परीक्षायें। जहां तक इस वर्ष का प्रश्न है हमने परीक्षा का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश को सौंपा है उत्तरांचल के जितने केन्डीडेट होंगे उनकी सूची बन कर आयेगी। हमारे पास परीक्षा में 15 हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए केवल उत्तरांचल के। मैरिट के अनुसार ये 100% विद्यार्थी जिनको प्रवेश मिलेगा वे उत्तरांचल के होंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि हमारा यह दायित्व है कि उत्तरांचल की मैरिट लिस्ट बनेगी उसमें से हम लेंगे। मेरा यह मानना है उस डाकूमेंट का जो करार उत्तर प्रदेश के साथ परीक्षा में हुआ है उसे सदन की मेज पर रखें यह मेरी मांग है। मान्यवर, आप निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई करार हुआ है क्या?

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, हमने एक चिट्ठी लिखी है उनको।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप तो आश्वासन दे रहे हैं मैं मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि, अगर सदन में माननीय मंत्री जी यह कहें कि उत्तरांचल के ही सब रखे जायेंगे ऐसा डाकूमेंट मैं सदन की मेज पर रखने की मांग करती हूं और आपके हस्तक्षेप की मांग करती हूं।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, यह तो अण्डर स्टुड है कि उत्तरांचल अलग राज्य बन गया है उत्तरांचल में जब प्रवेश होंगे केवल उत्तरांचल के विद्यार्थियों के होंगे हमने एक पत्र लिखा है इस आशय का। उत्तरांचल के जितने आई0टी0आई0 इंस्टीट्यूट हैं इस पत्र का उत्तर नहीं मिलता तो ये 15 हजार विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क उत्तर प्रदेश में जाने का कैसे औचित्य होता।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह अवगत कराया, अपने उत्तर में कि आगामी प्रशिक्षण सत्र की परीक्षायें उत्तरांचल में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, परीक्षायें तो ली जायेंगी लेकिन जो परीक्षार्थी हों उनको प्रशिक्षण देने के लिए आई0टी0आई0 खोले पड़े हुए हैं आपने दैनिक वेतन पर इन्स्ट्रक्टर रखे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं चूकि आई0टी0आई0 से संबंधित है कि भविष्य में परीक्षायें भी उत्तरांचल सरकार लेगी लेकिन जो प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लेंगे उनके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि आई0टी0आई0 खाली पड़े हुए हैं वहां पर इन्स्ट्रैक्टर हैं नहीं वहां परीक्षाओं और प्रशिक्षणार्थियों की क्या व्यवस्था करायेंगे, मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर देना चाहते हैं तो प्रश्न की परिधि में दें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, यह सच है कि अध्यापकों की कमी है और ट्रेन्ड अध्यापक भी नहीं हैं, लेकिन यह सब उत्तर प्रदेश सरकार का तौर तरीका था। आज कहीं–कहीं भवन भी नहीं हैं। यह परम्परा चली आ रही थी पिछले 50 साल से उसका ओवर आल एफैक्टर हम पर भी पड़ा।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय केदार सिंह फोनिया स्वतः उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो क्या उसे अधिकार है उत्तर प्रदेश के मंत्री मण्डल पर आक्रामक हमला करे मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर मैं चाहूंगी आपसे मेरी कृपया अनुरोध है कि उन्होंने कहा मान्यवर क्या सरकार नकारा थी। उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 केदार सिंह फोनिया वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं क्या मा0 मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में थे तब ये भी नकारा थे, अब काबिलियत बढ़ गई है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, कार्यशैली पर प्रकाश डालना हमला नहीं है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें इस प्रकार का संदर्भ भी दिया है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह उत्तरांचल के अभ्यर्थियों की अलग बनेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें इस प्रकार के संदर्भ भी दिये हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह उत्तरांचल के अभ्यर्थियों की अलग बनेगी और उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अलग बनेगी और कितने यह जो लोग हैं यहां पर ऐडमीशन लेंगे उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनाकर वह अलग उत्तरांचल के छात्रों को यहां पर प्रवेश के लिए भेजेंगे इस तरह के डाइरेक्टिव उन्होंने अपने लेटर में हमको दिये हैं या नहीं दिये हैं उनका क्या उत्तर आया है।

श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन् इसके लिए वह अपने ढंग से उ0प्र0 के लिए पूरी सीनिरियटी लिस्ट बना लेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि उत्तरांचल के कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया, उनकी मेरिट लिस्ट कैसी है इसी से मतलब है हम को।

श्री अम्बरीष कुमार जी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह प्रवेश परीक्षा केवल सरकारी आई0टी0आई0 के लिए है, जो निजी क्षेत्र में संचालित आई0टी0आई0 हैं उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षाओं में शामिल होंगे या नहीं, इसकी जानकारी दें।

श्री केदार सिंह फोनिया–

हमारा निजी क्षेत्र से कोई सम्बंध नहीं, उनसे हमें कोई लेना–देना नहीं।

तारांकित प्रश्न

डाक्टरों एवं नर्सों की भर्ती के सम्बन्ध में

*डा0 इन्दिरा हृदयेश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश के कितने जनपदों में प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टर एवम् नर्सें उपलब्ध नहीं हैं?

रिक्त पदों को भरने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)–

उत्तरांचल राज्य के जनपद ऊधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य जनपदों में स्वीकृत पदों के अनुरूप एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जनपद टिहरी व ऊधमसिंह नगर को छोड़कर अन्य जनपदों में स्वीकृत पदों के अनुरुप स्टाफ नर्स उपलब्ध नहीं हैं।

संविदा के आधार पर एलोपैथिक चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों को नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य के बारे में सही स्वीकार्य कर लिया कि ऐलोपैथिक डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं सही है। सबको मालूम है कि नर्स संविदा के आधार पर है यही मान्यवर, सबसे बड़ा संकट है। इतने क्वालीफाइड स्टाफ और नर्स की ट्रेनिंग पाये हुए लोग हैं जो यहां धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले दिनों। क्या हम उन नर्सेस को बाकायदा नियमित न्युक्तियां नहीं दे सकते हैं यह संविदा के आधार पर आते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जो पिछले ही दिनों में स्टाफ नर्सेस यहां उत्तरकाशी से लेकर गढ़वाल में देहरादून तक के यहां पर इकट्ठा थे, जो धरना दे रहीं थी हम लोगों से मिलीं और आप लोगों से मिलने आई। क्या वह सब लोग जो क्वालीफाइड हैं, ट्रेंड हैं और आप के पास नर्स नहीं हैं उनको तत्काल रखने का कोई चयन प्रक्रिया, चयन व्यवस्था करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

शासनादेश बनने को है, शासनादेश निकलते ही हम इनको रख रहे हैं, लेकिन जो संविदा के आधार पर हम रख रहे हैं, लोकसेवा आयोग का गठन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है हम इधर संविदा के आधार पर डाक्टरों को रख रहे हैं और उधर जैसे ही लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है तो हम उनको नियमित अधियाचन भी भेज रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

इतना अच्छा हुआ कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जनपद ऊधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी जगह सभी पद रिक्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कुल कितने पद अन्य जनपदों में रिक्त हैं, नम्बर–1। नम्बर–2 जैसा कि माननीय मंत्री जी ने दूसरे उत्तर में कहा है कि संविदा के आधार पर ऐलोपैथिक चिकित्सकों व स्टाफ नर्सों की नियुक्ति करने पर विचार किया जा रहा है श्रीमन् यह मेरा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है इसमें कोई समय सीमा नहीं है यह संविदा के आधार पर भी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित होगी तो यह कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

श्री अजय भट्ट–

पहले प्रश्न के उत्तर में मुझे कहना है कि प्रश्न यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में पूछा, इसलिए कुल में तो आपकी सी०एस०सी० सारी की सारी आ जाती हैं, उसके लिए चाहेंगे तो आंकड़े प्रत्यक्ष दे दिये जायेंगे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि हम केवल एक साल की संविदा के लिए रख रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, कब तक आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कहा है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही महत्वपूर्ण हैं, उनमें कितनी रिक्तियां शेष हैं प्रत्येक जनपद

मुख्यालय में या जो भी मुख्य केन्द्र हैं उनमें और दूसरा साल भर के लिए आप संविदा के आधार पर नियुक्ति कर रहे हैं। श्रीमन् मगर कब तक कर दी जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

जिन कुल नियुक्तियों के आंकड़े अभी हमारे पास हैं वह हैं–

चिकित्सा अधिकारी पुरुष–442
महिला चिकित्सा अधिकारी 49 हैं।
दन्त चिकित्सा अधिकारी–22
उपचारिकाएं–142
प्रयोगशाला प्राविधिक–100
एक्सरे टैक्निशियन–20

श्री ज्ञान चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो संविदा की बात आयी है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि स्टाफ नर्सों की जो जगहें हैं, भविष्य में शासन उनमें बालबाड़ी की कार्यकत्रियों को नियुक्त करने का प्रयास करेगा?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ऐसा कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि बालबाड़ियों के लिए हमने एक कैप्सूल प्रशिक्षण दिया हुआ है। उनको लिमिटेड दवाइयां दी हैं। दूर–दराज के गांवों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं जा सकती हैं वहां पर इन कार्यकत्रियों की सहायता ली जाती है। जैसे उल्टी–दस्त हो जाते हैं और आदमी मरने को हो जाता है तो उस समय ओ0आर0एस0 घोल की आवश्यकता पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियों की आवश्यकता होती है इसकी जानकारी गांव के लोगों को नहीं होती इसलिए सैलेक्टेड चीजें उनको दी जाती हैं। ये अभियान केन्द्र सरकार द्वारा भी चलाया गया, उसी का उदाहरण लेते हुए हमने यहां पर लागू किया है, उन्हें एकदम से नर्स नहीं बनाया जा सकता।

श्री लाखी राम जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अंशकालिक चिकित्सकों को समायोजित करने के लिए उत्तरांचल में मैदानी क्षेत्र से साढ़े छः सौ पद स्थानान्तरित किये गये। पहाड़ों में आज उन पदों पर डॉक्टर नियुक्त हैं। वो जो वहां पर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उनको आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध नहीं होती है और कई ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के विपरीत वहां नियुक्त हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उ0 प्र0 सरकार ने जो पद यहां पर स्थानान्तरित किये थे, उन पदों सहित उन डॉक्टरों को क्या उ0 प्र0 भेजने की कार्यवाही की जा रही है?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मेरे से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है, यह चिकित्सा शिक्षा से संबंधित

प्रश्न है। हम खुद चाह रहे हैं कि उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में भेज दिया जाए। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने संभवतः इस पर कोई बैठक ली है, अभी हाल ही में विभाग परिवर्तन हुआ है इसलिए संभवः उनको भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में की गयी है और उनको वेतन सीधे आयुर्वेदिक विभाग द्वारा दिया जा रहा है और वो कार्य कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए और हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं वहां पद रिक्त हैं। क्या सरकार उन डॉक्टरों को आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भेजेगी।

श्री अजय भट्ट–

जहां–जहां आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथ के अस्पतालों में हैं। मान्यवर, वहां पर जो पद रिक्त हैं, मैंने आज कहा था कि हम कांट्रेक्ट के आधार पर रख रहे हैं तो वहीं पर हम कांट्रेक्ट पर रख रहे हैं। तो यह अण्डरस्टुड है कि अगर हम आयुर्वेद की जगह ऐलोपैथ का डॉक्टर रख देंगे तो उनकी व्यवस्था पृथक से होगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो बातें कहीं एक तो स्टेट एलोपैथिक डिस्पैन्सरीज में जो आयुर्वेदिक चिकित्सक तैनात हैं, जो माननीय लाखी राम जी का प्रश्न भी है, मैं उसी से जोड़ कर प्रश्न कर रहा हूं–श्रीमन् क्या स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरीज में जो आयुर्वेदिक चिकित्सक कार्यरत हैं, उनको एलोपैथ की प्रैक्टिस करने की इजाजत है या नहीं, यदि उनको एलोपैथ की प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है तो एलोपैथिक डिस्पेंसरियों में वो क्या कर रहे हैं और क्या सरकार उन आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथ की प्रैक्टिस करने की इजाजत देगी? दूसरा छोटा सा अनुपूरक प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि जब आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों को बेसिक हैल्थ केयर के बारे में इजाजत दी जा सकती है कि आप ये–ये दवायें बांट सकती हैं तो उसी तर्ज पर क्या जो सीनियर स्टाफ नर्सेज हैं, उनको चन्द वर्षों के, निर्धारित वर्षों के अनुभव के आधार पर क्या उनको प्रैक्टिसिंग नर्स, जैसा कि तमाम देशों में होता है, एक निश्चित अवधि के बाद आप उनको प्रैक्टिस नर्स की इजाजत देकर उन्हें एक तरीके से चिकित्सक के दर्जे में लाने पर विचार करेंगे?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आयुर्वेदिक डाक्टर केवल आयुर्वेदिक दवा ही दे सकता है। जिन आयुर्वेदिक डाक्टरों को ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरीज में तैनात किया गया है। वे भी आयुर्वेदिक दवा ही देंगे। नर्सों को प्रशिक्षण देकर उनसे दवा बंटवाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

प्राकृतिक आपदा व भूकम्प से निपटने की योजना के सम्बन्ध में

श्री राम सिंह सैनी–

2–क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्राकृतिक आपदा व भूकम्प से निपटने के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो वह योजना क्या है? और उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री अजय भट्ट–

जी हां, 12 जनपदों द्वारा प्राकृतिक आपदा भूकम्प से निपटने के लिये कार्य योजना का ड्राफ्ट प्रारूप बना लिया गया है। जनपद हरिद्वार द्वारा कार्य योजना बनायी जा रही है।

राज्य में आपदा प्रबन्धन एवं उसके न्यूनीकरण की योजना है।

जनपद स्तरीय कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को मार्ग निर्देशिका पुस्तिका फ्लॉपी के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, मार्ग निर्देशिका के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि प्राकृतिक आपदा में आप केवल भूकम्प को ही रखते हैं या अन्य आपदाओं को भी रखते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपदा प्रबन्धन को तीन भागों में बांटा गया है–

1. आपदा आने के पूर्व की तैयारी

2. आपदा का न्यूनीकरण

3. आपदा के बाद की कार्यवाही

हमारा जो विचार चल रहा है उसमें अग्निकांड, भू–स्खलन, वाहनों का नदियों में गिरना आदि को हम यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा की सूची में रखा गया है। इसमें हम नई–नई चीजों को भी जोड़ रहे हैं। हमारे यहां नदियां इतनी गहरी हैं कि उसमें गिरे वाहनों को निकाला नहीं जा सकता, बादल फटना को भी आपदा में शामिल किया गया है। आपदाओं के संबंध में कहीं से कोई सुझाव आये तो हम उसको भी सम्मिलित करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, 12 जिलों में आपदा प्रबन्धन का प्रारूप तैयार हो गया है, जबकि हरिद्वार का अपना प्रबन्धन प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। कृपया माननीय मंत्री जी बताएं कि हरिद्वार जनपद का आपदा प्रबन्धन प्रारूप क्यों नहीं तैयार किया गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हरिद्वार जनपद पहले उत्तरांचल में नहीं था, जैसे ही हरिद्वार उत्तरांचल में जुड़ा हमने हरिद्वार जनपद का आपदा प्रबन्धन प्रारूप बनाने का निर्देश दे दिया।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, जब से उत्तरांचल राज्य बना है, तब से हरिद्वार उत्तरांचल में है तो उसे पहले क्यों छोड़ दिया गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, चमोली जनपद में जो दुर्घटना हुई। उसमें शवों को निकालने के लिए गोताखोरों को बुलाना पड़ा। इसमें काफी समय लग गया और सारे शव निकाले भी नहीं जा सके।

मान्यवर, जैसा मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि चमोली में जो बस दुर्घटना घटी उसके लिए शवों को निकालने के लिए गोताखोरों को बुलाना पड़ा इसमें काफी विलम्ब हो गया शव भी नहीं मिल पाये। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की आपदाओं से निबटने के लिए उत्तरांचल सरकार टास्क फोर्स का गठन करेगी ताकि तुरन्त राहत मिल सके।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गोताखोरों के विषय में हमारा विचार चल रहा है इसको आगे चलाया जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

श्रीमन, मेरा आशय गोताखोरों के विषय में नहीं है। किसी प्रकार की आपदा हो, भूकम्प या अन्य राहत के लिए टास्क फोर्स के बारे में।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, टास्क फोर्स का ही नहीं कार्य योजना बनायी जाय जो जिलाधिकारी हैं उनको हमने डी0एम0 को जिला आपदा प्रबन्धक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अफसर के रूप में इसको इम्पावर्ड कर दिया है। और हमने प्रत्येक जिले में डी0सी0आर0 की स्थापना हमारे यहां की जा रही है जो आपने योजना के बारे में पूछा है मा0 पुनेठा जी ने भी पूछा है उसके बारे में मैं बता दूं कि डी0सी0आर0 डिस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रूम इसके अन्तर्गत खोले जायेंगे। राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम होंगे जो शासन स्तर पर खोला जा रहा है जिसको हमने ई0ओ0सी0 का नाम दिया है इमरजेंसी आपरेशन सेन्टर तो डी0सी0आर और ई0ओ0सी0 मिलकर कार्य करेंगे। जैसे हमने देखा कि आपदा आई थी गुजरात में वहां पर बहुत देर में पता लग पाया था केन्द्र को पहले लग गया। तो हम ऐसा सिस्टम प्रारम्भ कर रहे हैं यहां पर कि आपदा आती हो हमें यहां पर तुरन्त पता लग जाय यहीं से हमारा आपरेशन शुरू हो जाय और जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दे दिये हैं कि बिना पूछे अपना कार्य प्रारम्भ हो जाय तो इस तरह से इनको इन्टरलिण्ड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सेमीनार हमने यहां पर 10 और 11 तारीख को लगाया था मा0 नेता सदन ने उसका उद्घाटन किया था और क्लोजिंग भी किया था उसमें बहुत अच्छी–अच्छी बातें आयी थी उस पर और विस्तृत गहन अध्ययन हो रहा है। जैसे शीतकाल में सेनायें अपनी प्रैक्टिस करती रहती हैं। आज भी मुझे नैनीताल जाना था। नैनीताल में सेमिनार चल रहा है इस तरह से हर जिले की वहां से व्यवस्थायें देखी जा रही हैं जिले में कोई भी डिजास्ट आता है उस समय के लिए आपके पास व्यवस्थायें की गई हैं। हमारे पास कम्प्यूटराइज्ड सारी चीजें हो जायेंगी सड़कें कहां हैं, हास्पिटल कहां हैं, आर्थो के डाक्टर कितने हैं, फिजीशियन कितने हैं, सर्जन कितने हैं और प्राइवेट

क्लीनिक कितने हैं ये सब हम एक उसमें भर लेंगे ताकि उस समय हमें पलटाना न पड़े और हमारी विडियों कन्फ्रेंसिंग हो जायेगी हर जिले से और हमारे पास जहां भी होगा डी0एम0एम0सी0 का भी यहां पर एक खोल रहे हैं डिजास्टर मीटीगेशन मैनेजमेंट सेन्टर एक तो नैनीताल में कार्य कर रहा है एक के लिए 48 लाख रुपये की स्वीकृति कर दी है फाइनल स्तर पर है इसको हम अभी प्रारम्भ करने जा रहे हैं तो इससे हमको बहुत ही सुविधा हो जायेगी। इसके बाद हमारे पास जी0आई0सी0 जियोलोजिकल इनफारमेशन सेन्टर के तौर पर हम उसको डेवलप करेंगे तो सारी चीजें एकमुश्त हमारे हाथ में रहेंगी अगर दुर्भाग्य से ऐसी व्यवस्थायें यहां पर हो जाती हैं अगर ऐसा डिजास्टर यहां आ जाता है तो हमें हपड़–तपड़ की आवश्यकता नहीं होगी हम तमाम चीजें हमारे पास रखी हैं हम यहां से निर्देशित करेंगे इस तरह से हमने एक व्यवस्था की है नया राज्य है और भारत में पहली बार यह विभाग बना है इसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां, त्रुटियां रहेंगी उसके लिए हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इतना अच्छा प्रबन्ध हो गया है कि आपदा के पहले और आपदा के बाद का भगवान न करे आपदा आये हम लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि प्रश्न तो आप कितने कर लें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग बैठक करें आप लोग भी उसमें शामिल हों ताकि आप लोगों के भी सुझाव आ जांय और हम लोग उसको फुल प्रुफ अपना एक सिस्टम बना लें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और व्यवस्था बतायी कि ये मूर्त रूप में लागू हो जाती है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से दैवी आपदा प्रबन्धन के बारे में मा0 मंत्री जी ने जो प्रारूप और प्रयासों का जिक्र यहां पर किया निश्चित रूप से यह प्रयास सराहनीय हैं उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

एक सुझाव के तौर पर, क्योंकि अब यह प्रश्न का विषय नहीं रह गया, दैवीय आपदा जैसे विषय पर जो कि मानवता से जुड़ा हुआ एक पहलू है जिसमें से कोई भी व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं महसूस करता।

श्री अध्यक्ष जी–

माननीय चौहान जी, माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव किया है आप उसको स्वीकार करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जो दैवीय आपदा कोष के गठन की। जिसकी आवश्यकता हम सभी महसूस करते

हैं सरकार को निश्चित रूप से कहीं न कहीं दैवीय आपदा बल्कि यह थोड़ी कठोर बात मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं कर रोपण पर विचार करना चाहिए ताकि दैवीय आपदा कोष को स्थायी रूप से मजबूती से बनाया जा सके, जब भी ऐसी स्थिति आती है ऐसी इवेनचुलिटी आती है तो उसका सुझाव तो कायदे से आये।

श्री अध्यक्ष जी–

यह सुझाव बैठक में आ जाये फिर सुझाव होगा, यह प्रश्नकाल का समय है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय नेता सदन से यह आशा करूंगा कि क्योंकि सभी कम्प्यूटराइज्ड हो गये हैं इसलिए माननीय नेता सदन, हम विधायकों को कम्प्यूटर दें ताकि हम लोगों को रेडीमेड सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, वर्तमान में यह अलग है उसके लिए जो तैयारी चल रही है, लेकिन टिहरी जिले में और अल्मोड़ा जिले में सूखा पड़ा है और पिछली बार भी सदन में यह विषय उठा था।

श्री अध्यक्ष जी–

इस पर चर्चा आप बाद में कर लें।

श्री नित्यानंद स्वामी–

मान्यवर, माननीय सैनी जी जो नेता समाजवादी पार्टी के हैं मैं उनके सुझाव को स्वीकार्य करता हूं, प्रत्येक माननीय सदस्य को एक–एक कम्प्यूटर हम देंगे।

(थपथपाहट)

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में वर्तमान में सूखा त्राहि–त्राहि मची हुई है, लोग परेशान हैं। उनकी सारी फसल सूख गई है, वहां वर्तमान में क्या व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोशी जी, इस विषय को आप किसी नियम के अन्तर्गत लायें तो मैं स्वीकार कर लूंगा।

अतारांकित प्रश्न

प्रशिक्षण प्राप्त हेल्थ वर्करों (महिला) को नियुक्ति न देना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1989 से प्रशिक्षण प्राप्त हेल्थ वर्करों (महिला) को अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं?

यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्तियों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां प्रदान की जायेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजय भट्ट–

जी नहीं।

वर्ष 1989 से प्रशिक्षण प्राप्त हेल्थ वर्कर (महिला) की नियुक्तियां पदों की रिक्तता/आवश्यकता के अनुसार की गयी हैं किन्तु प्रशिक्षण प्राप्त सभी हेल्थ वर्कर (महिला) को अभी तक नियुक्तियां नहीं दी जा सकी हैं।

पात्रता के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष आवश्यकतानुसार नियुक्तियां की जायेंगी।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरियर डालकर पड़ाव शुल्क वसूली के सम्बन्ध में

श्री लाखी राम जोशी–

2–क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ऋषिकेश–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान तपोवन में बैरियर डालकर जिला पंचायत द्वारा पड़ाव शुल्क (चुंगी) वसूली की जा रही है?

यदि हां, तो राष्ट्रीय राज मार्गों पर जिला पंचायत द्वारा पड़ाव शुल्क की वसूली पर लगाई गई पाबन्दी को जिला प्रशासन द्वारा क्यों नहीं लागू किया गया है?

क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त बैरियर हटायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (श्री मोहन सिंह रावत 'गांववासी')–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 जगदीश नारायण सिन्हा राजकीय चिकित्सालय में आपात चिकित्सा की व्यवस्था न होना

श्री राम सिंह सैनी–

3. क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्व0 जगदीश नारायण सिन्हा राजकीय

चिकित्सालय में आपात चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और अधिकांश मशीनें पुरानी एवं खराब हैं?

यदि हां, तो शासन इस चिकित्सालय को जनहित में नई मशीनें सुसज्जित करेगा?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजय भट्ट–

स्व0 जगदीश नारायण सिन्हा राजकीय चिकित्सालय में आपातकालीन सेवायें वहां कार्यरत चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा दी जा रही है। एक्स–रे मशीन 100 एम0ए0 की अवश्य है, परन्तु कार्यशील है।

नयी मशीनों की व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न विभागों से सम्बद्ध पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के भुगतान के सम्बन्ध में

श्री राजेन्द्र सिंह–

4–क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न विभागों से पंचायत राज विभाग से सम्बद्ध कर्मचारी जो कि बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं, का वेतन भुगतान किस मद में व किस विभाग से किया जा रहा है?

क्या ऐसे सम्बद्ध कर्मचारियों/बहुउद्देशीय कर्मियों को वेतन भुगतान पंचायत राज विभाग से कराया जायेगा?

यदि हां, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्यरत बहुउद्देशीय कर्मियों का वेतन अनुदान सं0–19 के लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित बजट से किया गया है वेतन आहरण एवं वितरण मूल विभाग से किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्त व्यवस्था पर सरकार पुनर्निरीक्षण कर रही है वेतन भुगतान संबंधी व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय उपर्युक्त पर निर्णय के उपरांत लिया जा सकेगा।

जिला पंचायत अल्मोड़ा के अध्यक्ष की सदस्यता के सम्बंध में

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

5–क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जिला पंचायत अल्मोड़ा के अध्यक्ष जनपद के किसी जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य हैं?

यदि नहीं हैं तो, किन नियमों के तहत वे जिला पंचायत अल्मोड़ा के अध्यक्ष हैं?

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

जी नहीं। श्री परिहार वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद के जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य नहीं हैं बल्कि अविभाजित अल्मोड़ा जनपद जो तहसील बागेश्वर उसका भाग था, में अर्सों कपकोट क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं।

बागेश्वर जनपद के सृजन के फलस्वरूप तत्कालीन उ0प्र0 के शासन के पत्र, दिनांक 26–6–2000 द्वारा श्री परिहार को अल्मोड़ा जिला परिषद् के अध्यक्ष पद को अनर्ह घोषित किया जा चुका है, किन्तु वे रिट याचिका सं0 3233/2000 में पारित उच्च न्यायालय के स्थगनादेश, दिनांक 30–6–2000 के अधीन पद पर बने हुए हैं।

शासन की पूर्वानुमति के बिना भवन निर्माण का कार्य कराया जाना

श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

6–क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के धन से शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य बिना शासन के पूर्वानुमति किये गये हैं?

यदि हां, तो क्या सरकार सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत किये गये शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण कार्यों में किये गये धन के दुरूपयोग की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है। तदोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला नैनीताल के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण ना कराया जाना

श्री ईसम सिंह–

7–क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि जिला नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड

नैनीताल के ग्राम बजून में आज से बीस वर्ष पहले छः बिस्तरों वाला राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय किराये के भवन में चल रहा है। जबकि अस्पताल की स्थापना के समय से ही समीपवर्ती ग्राम "सारी" (खुर्पाताल) में अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध है?

यदि हां, तो आज तक चिकित्सालय भवन बनवाने की कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है?

क्या यह भी सही है कि विगत कई वर्षों से मकान मालिक को किराये का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है?

यदि हां, तो क्यों?

मकान मालिक को किराये की राशि का भुगतान और चिकित्सालय भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा?

श्री अजय भट्ट–

जी नहीं, चिकित्सा विभाग की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

चिकित्सालय किराये के भवन में चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। मकान मालिक को फरवरी, 97 से किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण किराये की धनराशि का भुगतान शीघ्र किया जायेगा तथा भवन निर्माण भूमि तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ। अब मैं नियम 301 ले रहा हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

देहरादून के घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित शव विच्छेदन गृह से आसपास का वातावरण दूषित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

महोदय, चन्दर नगर देहरादून एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जहां समय–समय पर शव विच्छेदन के लिए शवों को लाया जाता है जिससे पूरे क्षेत्र में करूणामय वातावरण बना रहता है। इसके साथ–साथ कभी–कभी असमय लाश आने के कारण और शव विच्छेदन गृह के द्वार पर ताला लगा रहने के कारण लाश को सड़क के किनारे गेट के बाहर ही रख दिया जाता है। जिससे मृतक के परिजनों की स्थिति भी और खराब हो जाती है तथा क्षेत्र के आसपास पूरा वातावरण संवेदनशील एवं करूणामय बन जाता है। ऐसी स्थिति में शव विच्छेदन गृह क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है।

इस सूचना के माध्यम से लोक महत्व की इस अत्यन्त गम्भीर समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री के0सी0 सिंह बाबा–

पिछली बार मैंने पूछा था उसका उत्तर आज तक नहीं मिला, पिछले सदन में 18 जनवरी को मैंने पूछा था उसका उत्तर मुझे आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

श्री नित्यानंद स्वामी–

मान्यवर, 13, 301 के प्रश्न थे, उनमें से 12 के उत्तर दे दिये हैं। सम्भवतः आप ही का उत्तर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यथाशीघ्र उसको करेंगे।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी तत्काल प्रभाव से एक अनुरोध आपसे किया, वह इसलिए कि नियमावली 301 में यह कहा है कि हम कोई भी बात उठायेंगे तो आपकी संज्ञान में जरूर होगा, इसलिए आपकी संज्ञान में लाने के लिए मैंने उसकी एक संक्षिप्त नोटिस आपके पास भेजी।

श्री अध्यक्ष जी–

मैं सुन लूंगा, लेकिन आपकी 2 सूचनायें हैं, दो में से एक को सुन लूंगा।

श्री के0सी0 सिंह बाबा–

श्रीमन्, 300 में तो कोई समय सीमा नहीं है, वह तो रूटीन में है।

नियम–300

सदन के बाहर की गई पर्यटन नीति की घोषणा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधानसभा का सत्र आहूत होने की सूचना दिनांक 13 अप्रैल, 2001 को निर्गत हो चुकी है। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने मंत्रिपरिषद् की बैठक में पर्यटन नीति पर मंजूरी मिलने के बाद दिनांक 25–26 अप्रैल, 2001 को सार्वजनिक रूप से पर्यटन नीति की घोषणा की है। विधानसभा का सत्र आहूत होने के बाद सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की नीतिगत घोषणा सदन के बाहर किया जाना माननीय सदन की अवमानना है इसीलिए ये प्रोप्राइटि का प्रश्न मैं लायी हूं। मान्यवर, जब सदन होने वाला था तो परम्परागत ही नहीं संवैधानिक दृष्टि से भी कोई नीतिगत घोषणा हमारे माननीय मंत्री जी सदन के बाहर नहीं कर सकते और मान्यवर, यदि सदन के बाहर कोई नीतिगत घोषणा करते हैं तो यह पूरी सरकार की जिम्मेदारी है और वो एक तरह से सदन की अवमानना की दोषी है और सदन की अवमानना की दोषी एक तरह नो कांफीडेंस अगेन्स्ट द गवर्नमेंट है। सदन में निर्धारित प्रतिनिधियों, सभी दलों का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद नीतिगत घोषणाएं सदन के बाहर करती हैं। हो सकता है जानकारी के अभाव में ऐसा किया गया हो, यदि जानकारी के अभाव में ऐसी हुआ तो माननीय मंत्री जी स्वीकार करें लेकिन यदि जानबूझकर सदन की अवमानना की है तो मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और आपकी पीठ से निर्देश की भी मैं अपेक्षा करती हूं।

पर्यटन मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

मान्यवर, कोई भी व्यक्ति जो सदन में बैठने वाला हो, सदन की अवमानना की भावना से ग्रसित होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। सदन तो सबसे महान है और सदन से ही हमारा मार्ग दर्शन होता है, तो इसमें अवमानना की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक परम्परा है कि जब कोई नीति मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत की जाती है तो सरकार के मुख्य सचिव द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस बुलायी जाती है। जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो तो उसने भी यही किया। यह एक परम्परा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम परम्पराओं पर भी जीवित है। इंग्लैंड में कई बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं है, परन्तु परम्पराओं के आधार पर चलती हैं। मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस बुलाने की जो परम्परा है, बहुत अच्छी है और सभी सरकारें ऐसा करती हैं। प्रेस में जो बात आ गयी उसे आप घोषणा समझें या प्रेस को सभी बातें बताने वाली बात समझें, वो बात अवश्य हुई, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मान्यवर, सदन की अवमानना की भावना से ग्रसित कोई बात नहीं हो सकती। सदन की अवमानना की बात कहना सरासर उचित नहीं, धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप चाहूंगी। मान्यवर, परम्परा और मर्यादा, इन सब से आप पूरी तरह भिज्ञ हैं। सचिव क्या कहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर मंत्री कह रहा है और उसे परम्परा बता रहा है तो मान्यवर, मेरे लिए बहुत कष्ट और पीड़ा की बात है कि किसी सरकार ने क्या किया न तो यह परम्परा है और न ही संवैधानिक है कि सदन आहूत हो और बाहर घोषणा की जाए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, माननीया नेता राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जो ब्रीफिंग होती है, कैबिनेट के बाद वो ब्रीफिंग मुख्य सचिव करता है और उसके अन्दर संक्षेप में यह बताता है कि हमने एक नीति घोषित की है लेकिन सब डिटेल्स उसमें नहीं आते हैं..................

मान्यवर, लेकिन सब डिटेल उसमें नहीं आता है। अब नीति की घोषणा का मतलब तो यह है, जब सारी डिटेल इसमें आयेगी तो नीति की घोषणा होगी। यद्यपि इसके अंदर हमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, परन्तु फिर भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब सदन आहूत हो जायें तो जितना भी किसी विषय में कम बाहर कहें उतना अच्छा है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि संविधान की इसमें कोई इम्प्रोप्राइटि नहीं है। केवल एक परम्परा की बात है और इसके अन्दर भी नीति की कोई घोषणा नहीं हुई है। केवल उन्होंने यह बताया कि इसके अन्दर नीति बनी है और उसका एक मामूली तथ्य संक्षेप में बताया। नीति की घोषणा तो हम हाउस के अन्दर करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मुख्य सचिव की कोई बात नहीं है। मंत्री जी ने घोषणा की है, इसलिए मामला गम्भीर है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा भी इसी विषय पर नोटिस था।

श्री अध्यक्ष–

मैं दूसरी वाली नोटिस ले रहा हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं कि उस दिन सदन नहीं चल रहा था, सदन चल रहा होता तो अनिवार्यता होती।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। यह स्वस्थ परम्परा है कि सत्र आहूत होने के पश्चात् समस्त नीतिगत घोषणाएं सदन के अन्दर ही होनी चाहिएं, बाहर नहीं।

रिस्पना पुल के नजदीक लगे सूचना विभाग के बोर्ड के सम्बंध में औचित्य का प्रश्न

***श्री मुन्ना सिंह चौहान–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज एक ऐसा विषय आपके संज्ञान में लाया हूं। श्रीमन, हम जब इस सम्मानित सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इस मार्ग से गुजर रहे थे, रिस्पना पुल से गुजर रहे थे तो उत्तरांचल सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की तरफ से सरकार की नीतियों का प्रचार–प्रसार करने के लिए एक बड़ा साईन बोर्ड लगा हुआ था। जिसमें एक तरफ लिखा था कि "उत्तरांचल सरकार के बढ़ते कदम और इसके एक अंश में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक पूरी तस्वीर बनी हुई है और दूसरी तरफ उसके अंदर उत्तरांचल सरकार के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिनका जन–साधारण में सरकार प्रचार–प्रसार करना उचित समझती है, वो उसके अंदर विस्तार से लिखे गये हैं। मान्यवर, एक गम्भीर औचित्य का प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत जो संसदीय जनतंत्र है, निश्चित रूप से हम डेमोक्रेसी के अंदर पार्टीलेश की बात नहीं करते और हमारे यहां पार्टियों के अंदर संसदीय जनतंत्र को चलाने की बात करते हैं। आप भी गरिमामय पीठ पर विराजमान हैं। इस सदन के बाहर किसी दल विशेष से ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन इस गरिमामय आसन पर बैठ करके और गरिमामय पद के संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते समय आपके आचरण में और न आपके कार्य व्यवहार में पार्टी का सम्बन्ध नहीं होता, पार्टी का समावेश नहीं होता। यही अपेक्षा इस सम्मानित सदन के अन्दर संवैधानिक पद को धारण करने वाले व्यक्तियों माननीय नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय मंत्रीगण वो किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान होने की शपथ ग्रहण करके सदन के अंदर नहीं बैठते हैं। इस सदन के अंदर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में बैठने के पूर्व वे भारत के संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करते हैं............

.... मान्यवर, सरकार का जो मुलाजिम होता है, सरकार का जो तंत्र होता है, सरकार की जो मशीनरी है, सरकार के जो विभाग हैं उनके विभागों को किसी प्रकार से पार्टी के लोगों को किसी भी पार्टी के पदाधिकारियों को सरकारी तंत्र में कार्य के संचालन में हस्तक्षेप करने का या दिशा निर्देश देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये भी संवैधानिक व्यवस्था है पार्टी का संगठन यदि उस पार्टी की सरकार तो उसमें सलाह व मशविरा देता है लेकिन सदन से और सरकारी विभागों से उसका कोई ताल्लुक नहीं, पार्टी की बैठकों में सलाह देते होंगे। श्रीमन्, एक अजीब सी स्थिति है कि सरकारी विभाग का सूचना जन सम्पर्क विभाग का कार्यक्रमों का एक तरीके से दस्तावेज की घोषणा है। लम्बे चौड़े बोर्ड पर उसमें मा० मुख्य मंत्री जी की तस्वीर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का एक बाकायदा बेनर पोस्टर लगा कर, एक चुनाव चिन्ह लगा करके और यदि श्रीमन् सदन के बाहर अखबारों में छपी खबर होती तो कहते और टोकते कि यह तो सदन के संज्ञान में नहीं लिया जा सकता लेकिन अखबारों में छपी बात नहीं है वे सरकारी सम्पत्ति है, वह बोर्ड आज सरकार की सम्पत्ति है, उत्तरांचल सरकार के जनसम्पर्क विभाग की सम्पत्ति है, उसके ऊपर पार्टी का प्रमाण पत्र चिपका हुआ है तो श्रीमन् एक संवैधानिक प्रश्न पैदा होता है क्या उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी और सरकारी की संवैधानिक स्थिति एक ही है। क्या पार्टी को भी वहीं संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार प्राप्त है जो सदन के अन्दर बैठने वाले मुख्यमंत्री जी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार प्राप्त है। यह गम्भीर संवैधानिक प्रश्न है श्रीमन् यह एक अजीबोगरीब संवैधानिक संकट इस बात का पैदा होता है इससे जाहिर यह होता है कि सम्भवतः पार्टी के लोग ही जो सरकारी तंत्र हैं सरकारी मशीनरी है उसको दिशा निर्देश भी देते हैं उसको देखने से जाहिर होता है और विधान सभा के इतने सनिकट कृत्य हो रहा है इससे ज्यादा गम्भीर कृत्य और इससे ज्यादा चिन्ता का विषय हमारे लिए और नहीं हो सकता है और संसदीय परम्परा पहले हम यह कहेंगे निश्चित रूप से न लेते हुए क्योंकि चित लगाना हमारी परम्परा भी नहीं रही है लेकिन हमारा मन भी नहीं करता लेकिन मुझे मजबूर होकर आज चित लगाना पड़ रहा है शायद इस सदन के अन्दर, इस प्रदेश के अन्दर सरकार के कार्यक्रमों का संचालन यह निर्वाचित सरकार और मा० मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बने यह मंत्रि-परिषद नहीं कर रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकारी तौर पर आफिसियल कैपेसिटी में अनकान्स्टीट्यूशनल तरीके से एक ऐसे सरकारी कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है वह बोर्ड इस बात का प्रमाण है। लिहाजा श्रीमन् मैं आपसे प्रार्थना करूंगा इस गम्भीर औचित्य के विषय पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, ये जो मा० हमारे चौहान साहब हैं एक तो इनकी कम उम्र है, इतनी खतरनाक उम्र में से गुजर रहे हैं। आप सीधा क्यों नहीं देखते हैं, सड़क पर आप दायें बायें क्यों देखते हैं। मान्यवर जो तांकझांक करते हैं उनके लिए बाद में बड़ी दिक्कत होगी। मान्यवर, ऐसा है कई बार और भी सरकारी सम्पत्तियों के बोर्ड वगैरा होते हैं पर अपने पोस्टर चिपका देते हैं, उचित नहीं है लेकिन आपने ध्यान दिलाया, ठीक कर देंगे।

श्री काजी मो० मोहिउद्दीन–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से अर्ज कर रहा हूं आपको शिकायत है आप यह काम सदन के बाहर ही नहीं करते सदन के आपने तहरीर में की है, आपने मुन्ना भाई को अपना दूत बता दिया था।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, इसमें कोई न कोई दिशा निर्देश तो होना चाहिए। सरकारी विभाग को इस बात का पूरा एक मैसेज जा रहा है पूरा सरकारी कार्यक्रम 3/4 स्पेस में लिखा हुआ है एक तरफ लिखा है सरकार पार्टी का कार्यक्रम है इसमें तो सरकार का कार्यक्रम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नजर आया है।

श्री अध्यक्ष–

यदि इस प्रकार का बैनर लगा है तो उसको उतरवा दो।

नियम–56 के अन्तर्गत सूचनाऐं

विधायक निधि के व्यय सम्बन्धी

*श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत यह स्थगन प्रस्ताव मैं पढ़ दूं, दिनांक 8 अप्रैल, 2001 को भोपतवाल स्थित महेश्वरी सेवा सदन में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की भारतीय सभा के सदस्यों, सरस्वती शिशु मन्दिरों के आचार्यों के अधिवेशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों और विधायकों के विधायक निधि का 50 प्रतिशत धन शिशु मन्दिरों पर खर्च करने का निर्देश दिया, मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा से सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक विद्यालयों के अस्तित्व का संकट दिखाई देने लगा है। आम जनता की समझ है कि यदि शिशु मन्दिरों की स्थापना के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आधी विधायक निधि इसमें लगा दी जायेगी तो ग्राम विकास में बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जायेगी, इस निधि की स्थापना का विशेष उद्देश्य था कि अपना विधायक जरूरतमंद स्थानों पर अपने विवेक से धनराशि खर्च कर सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा से प्रत्येक विधायक को अपने विधायक निधि से साढ़े 37 लाख प्रतिवर्ष शिशु मन्दिरों के विकास हेतु दिया जाना चाहिए, सर्वविदित है कि आर०एस०एस० के सहयोगी संगठन के रूप में विद्या भारतीय कार्य करती है, जिसके अन्तर्गत शिशु मन्दिर व विवेकानन्द विद्यालय स्थापित किये गये हैं ने विद्यालयों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्य संघ के प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, विधायक निधि से शिशु मन्दिरों के विकास पर 50 प्रतिशत रुपये खर्च किये जाने का निर्देश करना है। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बत्तर होती जा रही है। भारत जैसे धर्मनिर्पेक्ष देश शिशु मन्दिर में इस प्रकार का प्रयास संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 की पूर्णतया अवहेलना करता है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के तात्कालिक प्रश्न पर मैं चर्चा की मांग करती हूं। मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट है तो मान्यवर, इसे आगे ले लीजिए, मान्यवर अभी महत्वपूर्ण है कि शिशु मन्दिर पर 50 प्रतिशत घोषणा यह मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं, किसी पार्टी का प्रचारक कर सकता है पार्टी का नेता कर सकता है और शिशु मन्दिर में 50 प्रतिशत पैसे की घोषणा करना।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवधान

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

इसी विषय पर मेरा भी नोटिस है, श्रीमन् चूंकि समय की सीमा है इसलिए माननीय इन्दिरा हृदयेश जी ने जो बात कही मैं अपने नोटिस में लगभग यही सब बातें कहीं, मेन बातों पर अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और इस बात पर बल देता हूं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बजट के बाद जब अवसर मिले तो आप हमें अवसर दें और निश्चित रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी इस घोषणा का तीव्र विरोध करता हूं कि विधायक निधि का कोई पैसा शिशु मन्दिरों को दिया जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

पूरा विपक्ष इसका विरोध करता है और उत्तरांचल के मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा हम नहीं करते हैं, पार्टी के अध्यक्ष से कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के बजट का प्रस्तुतीकरण

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्यय का प्रस्तुतीकरण

वित्त मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 2001–2002 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।....

श्री अध्यक्ष–

बजट भाषण की प्रतियां वितरित कर दी जाय।

(बजट भाषण की प्रतियां वितरित की गई)

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के पृष्ठ–2 पर "नवोदित राज्य ने जन्म लिया" के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिये :–

"उसके लिये मैं भारत के यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लौह पुरुष श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा प्रख्यात विचारक मानव संसाधन विकास मन्त्री डाक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।"

(शेष बजट भाषण यथावत जारी रहा)

(बजट भाषण समाप्त हो गया)

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से 2001–2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया माननीय वित्त मंत्री जी ने और बजट आ गया है तो बजट पर चर्चा हो, बजट पारित हो जायेगा, अभी इसी बीच लेखानुदान प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता आ गई है, बजट प्रस्तुत है विचारार्थ और पारण के लिए जब बजट पढ़ने के लिए प्रस्तुत है तो बजट पारित होगा अब लेखानुदान को प्रस्तुत कर पारण करने के लिए आ गया हम तो बजट पारित करने के लिए बैठे हैं उसके लिए तात्पर्य भी हैं इसकी क्या आवश्यकता आ गई ऐसी परम्परा भी नहीं। मान्यवर, जब बजट हो और बजट पर विचार होना हो, बजट पारण की स्थिति हो उसमें अपने विचार रखते हैं बजट पर विचार होना है।

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट पर विचार होना है, अपनी भावनाओं से सदन को अवगत करा सकती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बजट पर विचार होना है ठीक है, लेकिन क्या वैधानिक कठिनाई है कि बजट प्रस्तुत हो, बजट पारित करने के लिए समय है क्या वैधानिक कठिनाई है कि लेखानुदान प्रस्तुत करना जरूरी हो गया।

श्री नित्यानंद स्वामी–

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी बहुत विज्ञ हमारी सदस्य हैं क्या आप यह तो नहीं चाहेंगी कि हम सारे बजट को बुलेटिन करके 8 तारीख से पहले पास कर दें। इसीलिए यह एक पहले से परम्परा चली आ रही है कि लेखानुदान हम ले लेंगे, 2–3 महीने के बीच बजट पारित कर देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी दी कि 8 माह तक बजट पारित नहीं हो पायेगा क्योंकि वे पर्याप्त चर्चा का समय देना चाहते हैं तो इसलिए लेखानुदान लाने की आवश्यकता समझी गई। मान्यवर, इस पर हम संवैधानिक आपत्ति भी व्यक्त कर चुके कि पहला सत्र है, यह पहला बजट है इसलिए यह परिस्थिति पैदा हुई, लेकिन प्रतिवर्ष मैं जरूर यह अपेक्षा करूंगी सरकार से कि वह बजट ही प्रस्तुत करें और बजट के साथ लेखानुदान की परिस्थिति पैदा न हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2001–2002 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी तो बजट प्रस्तुत किया, माननीय वित्त मंत्री जी ने, बजट आ गया है, बजट पर बात हो, बजट पारित हो जाएगा। अब इस बीच में लेखानुदान प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता आ गयी बजट प्रस्तुत है, विचारार्थ और पारण के लिए, अब लेखानुदान का पारण करने की क्या आवश्यकता आ गयी? हम तो बजट पारित कराने के लिए बैठे हैं और उसके लिए तत्पर भी हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? ऐसी कोई परम्परा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अभी बजट पर विचार होना है, आप अपनी भावनाओं से सदन को अवगत करा सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश जी बहुत विज्ञ सदस्य हैं, आप ये तो नहीं चाहेंगी कि हम सारे विधेयक को ग्रेटीन करके 8 तारीख से पहले पास कर दें। आप उस पर विचार करना चाहेंगी, इसीलिए यह पहले से परम्परा चली आ रही है, लेखानुदान लाने की 2–3 माह का, इस बीच में आप कृपापूर्वक बजट पास करा देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी दी कि 8 मई तक बजट पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पर्याप्त चर्चा का समय देना चाहते हैं इसलिए लेखानुदान लाना आवश्यक समझा गया। मान्यवर इस पर भी हम संवैधानिक आपत्ति कर सकते हैं। परन्तु ये पहला सत्र है या पहला बजट है इसलिए यह परिस्थिति पैदा हुई लेकिन भविष्य में मैं अपेक्षा करूंगी सरकार से कि वो बजट ही प्रस्तुत करे और बजट के साथ लेखानुदान पेश करने की परिस्थिति न पैदा हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जाएं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001

01 अप्रैल, 2001 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2001 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2000–2001 के लिए 11902564000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 01 अप्रैल, 2001 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से उतना रुपये निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों, से जिन सब का कुल योग 11902564000 रुपये (एक हजार एक सौ नब्बे करोड़ पच्चीस लाख चौंसठ हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन–उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में) विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		4
1	विधान सभा	राजस्व :	15591	862	16453
		पूंजी :	—	—	—
2	राज्यपाल	राजस्व :	—	7386	7386
		पूंजी :	—	—	—
3	मंत्रिपरिषद्	राजस्व :	8750	—	8750
		पूंजी :	—	—	—
4	न्याय प्रशासन	राजस्व :	58356	24524	82880
		पूंजी :	—	—	—
5	निर्वाचन	राजस्व :	10956	—	10956
		पूंजी :	—	—	—
6	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व :	296071	7	296078
		पूंजी :	50	—	50
7	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा सामान्य सेवायें	राजस्व :	1714161	1481690	3195851
		पूंजी :	33625	627411	661036
8	आबकारी	राजस्व :	9450	—	9450
		पूंजी :	—	—	—
9	लोक सेवा आयोग	राजस्व :	1836	—	1836
		पूंजी :	—	—	—
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व :	406205	1	406206
		पूंजी :	25000	—	25000
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व :	1759893	4	1759897
		पूंजी :	45330	—	45330
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व :	415284	0	415284
		पूंजी :	35182	—	35182
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व :	439283	576	439859
		पूंजी :	52278	—	52278
14	सूचना	राजस्व :	27487	—	27487
		पूंजी :	—	—	—
15	कल्याण योजनायें	राजस्व :	245480	—	245480
		पूंजी :	16692	—	16692

1	2		3		4
16	श्रम और रोजगार	राजस्व :	34296	—	34296
		पूंजी :	—	—	—
17	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व :	342282	589	342871
		पूंजी :	3185	—	3185
18	सहकारिता	राजस्व :	20983	—	20983
		पूंजी :	8189	—	8189
19	ग्राम्य विकास	राजस्व :	433686	—	433686
		पूंजी :	35701	—	35701
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व :	367526	—	367526
		पूंजी :	108246	—	108246
21	ऊर्जा	राजस्व :	82761	—	82761
		पूंजी :	335000	—	335000
22	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	325828	2063	327891
		पूंजी :	500330	—	500330
23	उद्योग	राजस्व :	79577	—	79577
		पूंजी :	16377	—	16377
24	परिवहन	राजस्व :	18360	25	18385
		पूंजी :	6781	—	6781
25	खाद्य	राजस्व :	36049	—	36049
		पूंजी :	550536	—	550536
26	पर्यटन	राजस्व :	42870	—	42870
		पूंजी :	40171	—	40171
27	वन	राजस्व :	638845	300	639145
		पूंजी :	5458	—	5458
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व :	102590	14	102604
		पूंजी :	4525	—	4525
	योग :		9757112	2145452	11902564

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2001 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उ0प्र0 के राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत धनराशि की मंजूरी

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 39 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत धनराशि रु0 21920800000 (रु0 इक्कीस अरब बयानवे करोड़ आठ लाख मात्र) विधानसभा में मंजूरी हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 39 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत धनराशि रु0 21920800000 (रु0 इक्कीस अरब बयानवे करोड़ आठ लाख मात्र) विधान सभा में मंजूरी हेतु प्रस्तुत है, स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब हम 3 बजे तक के लिए उठते हैं।

***श्री मुन्ना सिंह चौहान**–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी जो सूचना है उसमें श्रीमन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा भारती के समारोह में जो एक क्रिटिकल घोषणा की गई कि उत्तरांचल प्रदेश में विधायक निधि का 50 प्रतिशत हिस्सा शिशु मंदिरों को दे दिया जायेगा। यह एक गम्भीर प्रश्न है। विधायक अपने क्षेत्र में विवेकानुसार विकास का कार्य कर सके, इसके लिए विधायक निधि की स्थापना की गई थी।

श्री अध्यक्ष–

सदन में बिजली चली जाने से लिखा नहीं जा रहा है।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, इसलिए सांसद और विधायक निधि जैसे बजट सांसदों/विधायकों को दिये गये हैं। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि इस व्यवस्था से, फण्ड विधायकों के हाथों में होने से दुरूपयोग भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त मेरी बात तर्क के माध्यम से गलत सिद्ध कर दी गई थी और कहा गया था कि हो सकता है कि शायद कहीं अपवादस्वरूप इसके दुरूपयोग की संभावना हो, लेकिन इसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए इसे जारी रखना चाहिए। जैसे अतिरिक्त नियोजन के अन्तर्गत जिले के अन्दर जिलाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिले के विकास के लिए फण्ड उपलब्ध कराए। ट्रेजरी रूल्स के अन्तर्गत भी एक व्यवस्था की गई है टी0आर0–27 की। जिसके अन्तर्गत जिलाधिकारी जिले के विकास हेतु अपने विवेक से धन उपलब्ध कराता है। जनप्रतिनिधि जब कहीं पर अपने क्षेत्र में जाता है, किसी ने कह दिया कि वहां पर गन्दगी बहुत अधिक है, सफाई नहीं हुई है, सफाई होनी चाहिए। किसी ने कहा कि हमारे गांव में पक्की सड़क नहीं है, स्कूल तो है परन्तु स्कूल की छत टपक रही है, तो इन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए जनप्रतिनिधियों के पास फंड होना चाहिए। माननीय मंत्री जी मैं इसे क्रिटिकल डिमांड इसलिए कह रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उसको योजनागत तरीके से समावेश उसका कर पाना मुश्किल, व्यवहारिक नहीं महसूस किया जा सकता था जिला प्लान की 12 साल में एक बैठक होगी। एक बार उसकी योजना बनेगी तात्कालिक प्रभाव से कोई रिलीफ दे पाना जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं था इसी उज्जवल नेक नियति के साथ श्रीमन पूर्ववर्ती सरकारों ने भी और आपकी सरकार ने भी मा० मुख्यमंत्री जी विधायक निधि का वेतन क्या लें हमें उससे निश्चित रूप से आघात लगा जब आपकी तरफ से बयान आया और आप जिस व्यक्ति को जो संसदीय परम्पराओं के भीष्म पितामह हैं आपकी तरफ से यह बयान आया कि विधायक निधि का 50 फीसदी पैसा शिशु मंदिन के विद्यालयों में लिया जायेगा हम कहते हैं श्रीमन् एक तरफ विधायक की लिबर्टी एक तरफ विधायक का विशेषाधिकार की विधायक निधि विधायक के विवेकाधीन पर छोड़ा गया है कि किन कार्यों में उसका इस्तेमाल किया जायेगा दूसरी तरफ यदि सरकार की तरफ से यह दिशा निर्देश आयेगा कि रायडल लगा दिया जाय कि इस पैसे को आप फलां चीज में लगा दीजिए तो विधायक निधि की क्या आवश्यकता उसके लिए आप दीजिए प्लान में व्यवस्था। मा० वित्त मंत्री जी ने आज ही बजट प्रस्तुत किया उसके अन्दर व्यवस्था कर दी कि शिक्षा विभाग का जो बजट है उसमें लिख दीजिए इतने लाख रुपये, इतने करोड़ रुपये ये केवल जो है, शिशु मंदिरों के लिए रख दीजिए लेकिन श्रीमन् उसके पीछे छुपी भावना ज्यादा खतरनाक है हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पहले है और उसका जो अपना एक दूसरा आउट-फिट है जिसे आर०एस०एस० कहते हैं उसके माध्यम से शिशु मंदिर विद्यालय संचालित होते हैं। यद्यपि सरकार ने शिशु विद्यालय मंदिरों को काफी लिबरल होकर काफी अनुदान और सहायता भवन निर्माण और अनुदान देने की बात की। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं वहां शिक्षा मिल रही है तो उसमें विरोध करने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन यदि इस तरीके से विधायक निधि को शिशु विद्यालय मंदिरों में खर्च करने का मन सरकार ने बनाया तो मा० मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, तो निश्चित रूप से गम्भीर प्रश्न एक तरफ विधायकों के विशेषाधिकारों का हनन होता है। निश्चित रूप से इस सदन की भी अवमानना होती है क्यों श्रीमन, यहां पर यदि हम कह दें कि विधायक का विशेषाधिकार है तो विधायक के जो विशेषाधिकार हैं वह विशेषाधिकार सदन देता है उस विशेषाधिकार का संज्ञान श्रीमन आपकी पीठ से मिलता है। इस सदन के किसी मा० सदस्य के कार्यकलापों में कोई अवरोध पैदा किये जाते हैं कोई भी कोशिश करता है कि हम अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकें उसमें कोई अवरोध पैदा होता है तो श्रीमन् उसी को हम प्रिविलेज मोशन के रूप में आपके सामने इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करते हैं आपसे अनुज्ञा मांगते हैं और आप उसके संज्ञान लेते हुए उस पर कार्यवाही का प्राविधान करते हैं ये गम्भीर विषय था श्रीमन् मैं खड़ा था छिपी हुई भावना उसके अन्दर है जब शिशु मंदिरों को विधायक निधि का पैसा जाने लगेगा तो सर्वविदित है कि तमाम शिशु मंदिरों में काम करने वाले आचार्य नहीं हैं वे पार्टी विशेष के प्रचारक भी हैं वे पूरे दिन में थैला लटका कर रात दिन पार्टी विशेष के लिए प्रचार भी करते हैं उसका आशय यह हुआ कि सरकार का जो पैसा विधायक निधि का पैसा डायवर्ड होकर के इन विद्यालयों के अन्दर लगेगा उसका मकसद यह हुआ कि सरकार के पैसे के बल पर एक पार्टी विशेष के लिए प्रचारक पैदा किया जायेगा और दूसरी तरफ खुशी होगी इस बात की यदि सरकार यह अपील करे कि सदन के अन्दर विधायक लोग अपना विधायक निधि का इतना ले लें अगर इतने हजार रुपये

प्रति विधायक इस बात के लिए निकाल करके लायें जो शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धु दैनिक मजदूरी में मानदेय पर जिनका शोषण होगा जिनको कि केवल मजबूरी में पेट की रोटी लेने के लिए केवल मजबूरी में उनको खड़ा होना पड़ेगा अच्छा होगा कि सरकार उनको नियमित करना चाहते हैं हम उनको रेगुलर वेतनमान दिलाना चाहते हैं उसके लिए आप धनराशि यहां से मेकप करें मुझ जैसा व्यक्ति उसमें सहर्ष बल देगा लेकिन इस तरीके से संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के अन्दर सरकार का पैसा इनडिस्क्रीमिनेट तरीके से लाया गया बल्कि यह व्यवस्था की गई। निश्चित रूप से निहित आपत्तिजनक आरोप प्रत्यारोप में बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आरोप प्रत्यारोप यहां नहीं करते। इसलिए श्रीमन मैंने कहा भले मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर देने को तैयार हैं।

तो इसलिए श्रीमन् हमने कहा कि भले ही माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर दें या सरकार की तरफ से जो उत्तर आयेगा यही आयेगा कि यह तो केवल कहा गया है, केवल छपा है, केवल सदन से बाहर है, केवल विचार था, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे भावनायें झलकती हैं। अभी सदन के अन्दर हमने कल ही सवाल उठाया कि फलां माननीय मंत्री जी ने यह कहा, उन्होंने कहा मैंने सदन के बाहर कहा सदन के अन्दर नहीं कहा, लेकिन कहा तो है, उसी व्यक्ति ने कहा और फिर हम इतनी नैतिकता भी न दिखायें कि उस को नकार दें हम यह कह दें कि नहीं कहा मुझे बड़ा आत्मघात लगा कि जब माननीय मंत्री जी सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहते हैं कि सामान्य सदन के अन्दर कहते हैं कि उसे मैंने कहा ही नहीं, नैतिक बल होना चाहिए मैंने कल भी कहा कई बार हमसे ऐसी बातें निकलती हैं जिसके हम समर्थक नहीं होते कई बार ऐसा आचरण होता है जिसको हम पसन्द नहीं करते उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं हम कई बार उसे स्वीकार्य करते हैं कि यह गलत हुआ कई बार बोलचाल में हमारी जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं जो अमर्यादित होते हैं हम उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं तो श्रीमन् हमारा यह कहना है कि सरकार पर संवेदनशील विषय इस तरीके से एक संस्था विशेष के माध्यम से राजनैतिक कार्यक्रम, व्यवस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। हम सभी इस बात को लेकर के चिन्तित हैं, सम्पूर्ण सदन चिन्तित है, सम्पूर्ण विपक्ष चिन्तित है, श्रीमन् मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सदन की कार्यवाही को रोककरके इस कार्यस्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार्य करें और इस विषय पर सदन के अन्दर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

***श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–**

मान्यवर, मैं यह काम रोको प्रस्ताव इसकी ग्राह्यता स्पष्ट है कि किसी सरकार का मुखिया किसी विचारधारा विशेष के पोषण के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता है और मान्यवर, अविलम्बनीय इसलिए है कि धर्मनिरपेक्ष जो संविधान को हमारा दायित्व है और संविधान में जो हमसे अपेक्षा की गई सरकार में शपथ लेकर जो हमसे शपथ दिलाई गई उसमें जिस प्रकार की अपेक्षा की गई और उसमें भी मान्यवर यह स्पष्ट है कि हम संविधान के इतर या संविधान के विपरीत सरकार में रहते हुए कोई कार्य नहीं कर सकते तो मान्यवर अविलम्बनीय भी है लोकमहत्व का इसलिए है मान्यवर, कि आखिर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हम किसके द्वारा कराना चाहते हैं क्या सरकार द्वारा संचालित संस्था है और अगर सरकार निजी सहयोगी संस्थाओं से या निजी स्वयंसेवी संस्थाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से भी चलाना चाहें तो क्या इनका स्वरूप किसी विचारधारा विशेष से जुड़ा होना चाहिए या उनके स्वरूप पर कोई आक्षेप करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए बहुत अविलम्बनीय है। मान्यवर, लोकमहत्व का है और तात्कालिक, तात्कालिक इसलिए है कि सदन मान्यवर इस घोषणा के बाद पहली बार बैठा है तो इस बिन्दु पर जिस भी किसी भावना से हो सकता है कि उस संस्था में जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता की भावना से यह अपेक्षा कर ली है कि यह संस्थाओं के उदार के लिए हमारे पास तो निधि नहीं है, तो विधायकों से अपेक्षा कर दी, लेकिन मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई प्रत्येक बात का बहुत महत्व होता है और उसको भारत सरकार की विसंगति और अनेक प्रकार की विविधताएं पैदा होती हैं। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हमारे अति महत्वपूर्ण और प्राथमिक शिक्षा जो हमारे लिए बेसिक इन्स्टीट्यूशन हैं। अभी आज वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा की मुझे अभी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू कर रखा है पेंशन को और इस राजकोष के माध्यम से क्यों हम लोग ने यह मांग की थी तो उस समय माध्यमिक विद्यालयों के राजकोष के माध्यम से पेंशन दी जाने लगी ताकि भटकना नहीं पड़ता था नहीं तो सालों पेंशन नहीं मिलती थी अभी हमारे बजट में वहां लागू हो गया और उत्तरांचल ने उसकी घोषणा की तो स्वागत योग्य कदम है कि पेंशन के लिए किसी शिक्षक को लम्बी सेवा करने के बाद 60 वर्ष के बाद विभागों के दफ्तर के चक्कर न काटना पड़े और दौड़ना न पड़े तो मान्यवर जहां एक ओर बेसिक शिक्षा जो हमारा उत्तरदायित्व है वहां से राजकोष हम पेंशन देने की बात कर रहे हैं वहां उन विद्यालयों की काफी हालत खराब है, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में विधायकों की अपनी निधि लेंगे वैसे तो यह स्वविवेक का प्रश्न है जरूरी नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की व्यवस्था शासनादेश का हिस्सा, लेकिन मुख्यमंत्री की सार्वजनिक की गई घोषणा सरकार के सचिव शासनादेश मानते हैं।

मान्यवर, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहीं घोषणा की तो मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछें कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार कार्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा शासनादेश होता है। मुख्यमंत्री जो घोषणा करता है, उसका लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं वो सरकार की घोषणा होती है तो उत्तरांचल सरकार की ये घोषणा जो शासनादेश का हिस्सा बनी हम यह कह कर नहीं बच सकते। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि "भाई मैंने यह नहीं कहा था कि 5 साल तक चुनाव न हों।" हममें इतना तो साहस होना ही चाहिए कि अगर हमने किसी कारणवश या किसी भावनावश यह कह दिया हो कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए चुनाव की जरूरत कहां है। अब वो ये भी कह सकते थे कि इसे हमने लाइटली कहा, लेकिन सरकार में रह कर हल्के-फुल्के ढंग से तो नहीं कह सकते। जैसे आज सुबह भी प्रश्न आया कि सदन के अन्दर ही नीतिगत घोषणा होगी, मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने उच्च परम्परा का पालन कर निर्देशित किया सदन को, कि जब सदन आहूत कर लिया जाए तो कोई नीतिगत घोषणा बाहर नहीं की जाए। मान्यवर, आपने सरकार को निर्देश देकर उन मर्यादाओं और परम्पराओं की रक्षा की जो इस पीठ पर बैठकर आपको करनी चाहिए। मान्यवर, मुख्यमंत्री किसी भी जगह जो कुछ भी कहता है, वह शासनादेश हो जाता है क्योंकि इस पर हम सदैव लम्बे समय से लड़ते आये हैं कि फला मुख्यमंत्री ने इस जगह यह घोषणा की थी इसे पूरा क्यों नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कलैक्ट करने का काम सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं को एकत्र कर उनका पालन करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर होती है, अगर वह ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू नहीं कर पाती है तो इसका मतलब यह है कि वह उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। इसलिए मुख्यमंत्री द्वारा कही गयी बात सामान्य नहीं होती, वह शासनादेश होता है चाहे वह घोषणा किसी भावुकतावश, किसी उदारतावश या स्नेहवश की गयी हो। ऐसी परिस्थितियों में सर्तक रहना और जागरूक प्रहरी के रूप में काम करना हमारा दायित्व है। इसलिए मान्यवर, यह अविलम्बनीय भी है, लोक महत्व का भी है और तात्कालिक भी है, इस प्रकार की घोषणा के द्वारा संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को आघात पहुंचता है और समस्त धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इससे चोट पहुंची है और शिक्षा व्यवस्था को भी इससे आघात पहुंचा है इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगी कि इस पर सब काम रोक कर चर्चा करायी जाए।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में परम्परा नहीं कि माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त जो सूचनाएं उठायी जाती हैं, उन पर चर्चा हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीया डॉ0 इन्दिरा हृदयेश और माननीय चौहान साहब अगर चाहें तो एक पूरा दिन भर बैठ कर इस पर चर्चा कर लें कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का पाठ हमें न पढ़ायें और दूसरी बात यह है कि हम जो कर्तव्य करते हैं खुले आम करते हैं और उन कर्तव्यों का पालन करेंगे। आप हमको इन सब चीजों को पढ़ाइये मत, जो आपकी आपत्ति है, आपने बता दी, अब हम अपना जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जो कांग्रेस की नेता है, द्वारा जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा गया है। उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिशु मंदिरों को विधायक निधि का 50 प्रतिशत अंश देने की बात कही गई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था केवल शिशु मंदिरों के लिए ही क्यों की जा रही है, अन्य शिक्षण संस्थानों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि शिशु मंदिर भी एक तरह के पब्लिक स्कूल ही हैं। जब विधायक निधि बनी थी तो यह तय किया गया था कि कौन–कौन से मदों में इस विधायक निधि का इस्तेमाल किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आज तो मुझे सब मोबाईल जब्त करने पड़ेंगे।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, यह हम लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि हम किसी मदरसे को पैसा दें, किसी मंदिर को पैसा दें, किसी स्कूल को पैसा दें, नल लगाने के लिए पैसा दें।

प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में यह व्यवस्था दी गई है। ग्राम प्रधानों को भी यह अधिकार दिया गया है। विधायक को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विधायक निधि से धन व्यय करना चाहिए। जहां तक मान्यवर, इन शिक्षण संस्थानों का प्रश्न है। शिशु मंदिरों में जो शिक्षा दी जाती है, मैं अपनी जानकारी के अनुसार कह रहा हूं कि शिशु मंदिरों में एक वर्ग विशेष के प्रति नफरत की भावना भरी जा रही है।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि शिशु मंदिरों में एक वर्ग विशेष के प्रति नफरत सिखाई जा रही है।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, माननीय विधायकों की विधायक निधि उनके विवेक पर ही खर्च होनी चाहिए। जहां पर वे चाहें इसे खर्च करें। यह मेरा अनुरोध है।

श्री काजी मो० मोहिउद्दीन–

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी ने कहा...........

श्री अध्यक्ष–

इसे परम्परा न बना लें।

श्री काजी मो० मोहिउद्दीन–

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला शब्द एक शासनादेश होता है। चुनाव आयोग का भी यही मानना है। आचार संहिता लागू होने के बाद यदि मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करते हैं तो चुनाव आयोग उस पर आपत्ति लगाता है

मान्यवर, पुल बनवायेंगे, सड़क बनवायेंगे चुनाव के दौर तो एलेक्शन कमीशन ने उस पर फौरन रोक लगा दी और कहते हैं कि यह घोषणा नहीं कर सकते हैं। मा० मुख्यमंत्री जी ने कहा पता नहीं किस पक्ष में कहा एक तरीका यहां यह हो कि गांववासी जी ने कहा कि हमने कुछ कहा ही नहीं कि यह चलाया जाय। मा० मुख्यमंत्री जी से दर्खास्त कर रहा था कि मैं तो उस इलाके में रह रहा था जहां जाट रहते हैं एक जाट से पूछा किसी ने पूछा कि चौधरी जी आपकी क्या उम्र हो गई है तो उसने कहा ऐसी ही होगी 50–1 साल तो उसने 10–12 साल बाद फिर पूछा तो फिर चौधरी साहब ने कहा यही 50–1 साल तो उसने कहा 12 साल बाद भी आप वही कह रहे हैं 50–1 साल उन्होंने कहा मैं हूं जाट एक बार मुंह से बोल देता हूं उस पर कायम रहता हूं। गांववासी जी ने कहा था कि ये विधान सभा चलेगी 5 साल तो मैं भी उसकी तारीफ करता हूं साहस करना चाहता हूं हमारे उ0प्र0 के स्पीकर साहब ने कहा साढ़े पांच साल चलेगी वह आज भी कह रहे हैं कि साढ़े पांच साल कायदे के लिहाज से चलनी होगी। मान्यवर, यह सही है कि क्या भावनायें रही हों इस सरकार का यह दस्तूर चला उसके लिए मैं एक शेर सुनाता हूं–"इनकार में भी तेरा इकरार और इकरार में भी इनकार सा लगे है लेकिन तेरी भूली हुई अदा में भी मुझे प्यार सा लगे है।" यह जहां जाते हैं एक राय दे देते हैं और फिर कह देते हैं कि मैंने नहीं कहा तो लिहाजा मैं इन्हीं शब्दों के साथ बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंची है जिसे मैं रखता हूं।

*श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में यह खेदजनक बात है मा0 मुख्यमंत्री जी ने जिस संस्था विधायक निधि देने की बात कहीं बाहर से उसके अलावा सरकार द्वारा निर्धारित विद्यालयों के लिए और सड़कों के लिए विधायक निधि से विधायक खर्च करने पर विचार कर सकता है जैसा मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा यदि मा0 मुख्यमंत्री जी कोई फार्मल प्रस्ताव लाने पर विचार करें तो हम उसका समर्थन करेंगे शिक्षा हमारे सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, लेकिन यह बात सही है मा0 काजी साहब, मा0 सैनी जी ने जो बात कहीं वर्ग विशेष की भावनाओं की बात तो हम नहीं कहते लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं जिस संस्था का उल्लेख यहां पर है मैं उसका नाम लिया है इसे संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए यह बात जरूर कहना चाहता हूं। उन शिक्षा संस्थाओं का ऐसी विचारधारा से शिक्षण जरूर दिया जाता है औपचारिक शिक्षा के अलावा जो निश्चित रूप से हमारे संवैधानिक ढांचा और धर्मनिरपेक्षता के हैं, यह बात सही है अगर ऐसा नहीं होता मा0 काजी साहब, मा0 सैनी जी, मा0 इन्दिरा जी, मा0 चौहान साहब और मा0 मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं उस संस्था को तो वोट ऑफ वे जाकर नियम कानून को ताक पर रख कर हमारे नगर हरिद्वार में ही सिंचाई विभाग की जमीन जिस पर प्रमाणक पट्टा दिये जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मान्यवर, अस्थायी पट्टा बमुश्किल से 5 साल के लिए दिया जाता है। कम से कम 2 करोड़ रुपये की लागत की जमीन सारे कायदे कानून तोड़कर उस संस्था को दी गई जिसका उल्लेख मेरे साथियों ने यहां पर किया। मान्यवर हम यह कहते हैं नियम से संस्थाओं के लिए बराबर है लेकिन जब यहां सब के सब समान दृष्टि से देखने के लिए शब्द लेकर हम यहां पर बैठते हैं तो उस शब्द के अनुसार अपना आचरण करें। यदि यहां उस शब्द को तोड़ने का काम हुआ जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं उनको तोड़ने का काम हुआ तो यह बात सदन तक सीमित नहीं रहेगी उसका जो परिणाम होगा वह पूरा प्रदेश देखेगा और भी मा0 मुख्यमंत्री जी ने कही यह तो मनिमत है कि यह सप्तऋषि हैं–"मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल हम सफर मिलते गये और करवां बनता गया। आप तो 21 थे प्रधानमंत्री आपका बन गया हम तो फिर भी 7 हैं।

मुख्य मंत्री (श्री नित्यानंद स्वामी)–

मान्यवर, मैं आभारी हूं, इन्दिरा हृदयेश जी का कि वे एक ऐसा विषय इस सदन में लाई जिससे मुझे यह कहने का अवसर मिल रहा है कि यह एक ऐसी उच्च कोटि की संस्था है जो कि देश के अन्दर देशभक्ति अनुशासन और सही शिक्षा का प्रतिपादन कर रही है उसके सम्बन्ध में आपने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। मान्यवर, इस समय पूरे देश के अन्दर लगभग 50 हजार शिशु मन्दिर चल रहे हैं, उनके अन्दर वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो बच्चे गरीब हैं, जिन बच्चों के पास पब्लिक स्कूल में जाने को पैसा नहीं है और उन बच्चों को जो वहां पर शिक्षा दी जाती है। उस शिक्षा की कृपा करके कोई अवसर निकालकर के मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं एक बार निरीक्षण कर लें यह शिक्षण संस्थायें वो हैं जिनके अन्दर हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि बच्चों को "ग" से गधा न पढ़ाया जाये "ग" से गणेश पढ़ाया जाये बच्चों को कोई ऐसी गलत बात न पढ़ाई जाये जिससे बच्चे की मानसिकता खराब हो। बच्चे को बताया जाये कि हमारा देश कितना महान है। इस देश के अन्दर हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब लोग मिलकर रहते हैं वहां कोई साम्प्रदायिकता की बात नही होती है यह आपका भ्रम है। यह भ्रम ऐसा पैदा हो गया कि इस देश के अन्दर जो आपने नाम संघ जोड़ दिया जहां आपने पहले कहा कि साम्प्रदायिकता आ गई ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कभी कोई हमारे विधायकों को विधायक निधि मिलती है वह लोग उसका सदुपयोग करने के लिए अधिकृत हैं उनको अगर यह परामर्श दिया जाये तो आप किसी अच्छी जगह पर रुपये लगायें, परामर्श तो आदेश नहीं होता। सम्भवतः आप में से कोई उस बैठक में नहीं था अगर आप थे तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यह उचित समझा कि उस बैठक के अन्दर आयें। भविष्य में आयें अगर अभी भी नहीं आये तो, मान्यवर, इन संस्थाओं के अन्दर जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को आप कभी देखें पाठ्यक्रम के अन्दर देशभक्ति के गीत देश की सुरक्षा के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। एक बालक का क्या-क्या कर्त्तव्य होता है, उसकी क्या प्रमुख दिनचर्या होनी चाहिए। अपने माता-पिता के प्रति अपने गुरूओं के प्रति उसका क्या कर्त्तव्य होता है उसके अन्दर सब अच्छी शिक्षा उनको मिलती है। आपकी पब्लिक स्कूल के लिए आप लोगों की बड़ी प्रशन्सा रहती है दिमाग के अन्दर बड़े पब्लिक स्कूल हैं, नहीं मैं यह नहीं कहता कि आप स्वयं यह करते होंगे, लेकिन मैं आम तौर से यह बात करता हू आखिर उनके पैरेलर उनके मुकाबले में कोई रेखा खींचे या न खींचे हम पब्लिक स्कूल को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि खत्म करना आज प्रजातांत्रिक नहीं होगा शायद संविधान के अन्दर का भी एक मामला खड़ा हो जाये वह उनको एक विशेष अधिकार है। आज मदरसे चलते हैं तो मदरसों को कौन रोकता है मदरसे चलें उनके अन्दर हम अपने विधायकों से नहीं मना करते हैं कि कोई चाहकर मदरसे की मदद करना चाहे तो करें, किसी भी जगह मदद करना चाहें तो करें क्योंकि अभी जो ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं कि किसी ने अपने घर के पास गैराज बना लिया आप में से नहीं हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं गैरेज बना लिया अपने घर के बगल में, अगर रुपये का सदुपयोग होता है तो उसके अन्दर आपत्ति नहीं होनी चाहिए एक बात मैं स्पष्ट कह देता हू कि कोई आदेश नहीं दिया। आदेश देने का मेरा अधिकार भी नहीं है राय दी गई है और राय यह दी गई है कि अच्छा हो आप अपने विधायक निधि का सदुपयोग करें। सदुपयोग के अन्दर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि आप किसी अस्पताल को दे सकते हैं, आप किसी शिशु मन्दिर को दे सकते हैं, आप किसी सड़क पर लगा सकते हैं, आप किसी जगह को दे सकते हैं जहां लोगों को लाभ होता हो यह सब उनको सलाहें दी गई हैं, लेकिन आप को मालूम है अखबार ने तो एक ही बात छाप दी जो आप को चाहिए बहुत से मैं उनको भी दोष नहीं देता हूं वह तो उनको जो रिपोर्टिंग करनी है वो करते हैं। मेरा कहना यह है कि आप इसको इतना बड़ा इशु क्यों बनाते हैं हमने एक सलाह दी है और हम सलाह हमेशा देते हैं और सलाह मानना या न मानना उनके अधिकारी क्षेत्र के अन्दर है, वो कोई हमारा जी0ओ0 नहीं है, कोई आदेश नहीं है सलाह तो हम हमेशा देते हैं, हम आप को भी सलाह देते हैं कि यह जो साम्प्रदायिकता का भूत सर पे चढ़ा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं किसी दिन हम लोग बैठकर, एराउण्ड दि टेबल बैठकर बात कर लें कि क्या साम्प्रदायिकता है। आज अबुल कलाम को सबसे ऊँचा पद भारत सरकार ने दिया है या नहीं, भारत सरकार के अन्दर कितने बड़े विशिष्ट पदाधिकारी मुसलमान हैं, इसाई हैं। इस राज्य के अन्दर भी हम सबको सम्मान देते हैं, हम लोग तो कभी भेद-भाव करते ही नहीं, जितना सम्मान मैं माननीय काजी जी का करता हूं, उतना

तो मैं भाई सैनी जी का भी नहीं करता। काजी जी आप दिल से बता दीजिए मैं आपका सम्मान करता हूं या नहीं।

श्री काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, मैंने भी तो कहा कि अगर ये आपके खिलाफ "वोट ऑफ नो कॉन्फिडेन्स" लाएंगे तो मैं आपका समर्थन करूंगा।

श्री नित्यानंद स्वामी–

मान्यवर, न तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेन्स ये लाएंगे और न ही आपको कष्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करता हूं कि इसको वीड्रॉ कर लीजिए। इसके अन्दर हमने कोई अनुचित बात नहीं की है। आप मुझे कोई जगह बता दीजिए, जहां रुपया देना है, मैं अपने विधायक निधि से दूंगा, आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अस्वीकृत करता हूं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तर्क में एक बात सम्भवतः उन्होंने सुविचारित ही की होगी। बिना विचार करे कोई बात कहने के माननीय मुख्यमंत्री जी आदी नहीं हैं कि ऐसे भी प्रकरण विधायक निधि के हैं जहां पर विधायक निधि से गैराज बना लिए गये।

श्री अध्यक्ष–

यहां उस सम्बन्ध में नहीं कहा, कृपया इसे समाप्त करें। इस सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं।

(विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(विपक्ष के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

निधन के निर्देश

बद्री–केदार जा रही बस दुर्घटना में दिवंगत बस यात्रियों के प्रति शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

बद्री–केदार की यात्रा पर जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप दिवंगत यात्रियों के प्रति शोक प्रस्ताव है। इसलिए हम 2 मिनट के लिए मौन खड़े होंगे।

(दो मिनट का मौन)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, श्री केशरी चन्द्र जी का आज मार्टियस डे है, इसलिए उसे भी आप ले लीजिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, उसे आप ले लीजिए। मैं भी उचित समझता हूं। स्वर्गीय केशरी चन्द्र जी जौनसार भावर के शहीद हैं, जिनको आज हमें याद करना चाहिए।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, ठीक है वैसे ही अपना प्रस्ताव पास कर दूंगा, यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही आना चाहिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, उस प्रस्ताव की कापी आप हमें भेज दीजिए।

स्व0 केशरी चन्द्र जी के शहीद दिवस पर श्रद्धान्जलि

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, कहा गया है "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले हर बरस, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा"। अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में ऐसे तमाम नाम–गुमनाम शहीद हैं जिन्होंने अपना लहू बहाकर आज हमें यह दिन देखने को दिया कि आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वच्छंद वातावरण में अपना जीवन–यापन करते हैं, सांस लेते हैं। वे दिन थे जब देश के अंदर बरतानिया हुकूमत थी, जब देश का आदमी नाटकीय जीवनयापित करता था, उसके नागरिक अधिकार नहीं थे, उसके जीवन में कोई स्वाभिमान नहीं था ऐसे दौर में इस जनपद के, इस उत्तराखण्ड की धरती, इस जनपद देहरादून के सुदूर ग्रामीण अंचल, जिसे आज की तारीख में हम चकराता जनजाति क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहां क्याबा गांव के अन्दर एक ऐसे यशस्वी नौजवान का पालन–पोषण हुआ जिसने भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर नियुक्ति हासिल की। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा उस क्षेत्र से वह पहला नौजवान था जिसने उस दौर में एफ0ए0 तक की शिक्षा हासिल की थी। राष्ट्र भावना से ओत–प्रोत होने के कारण यद्यपि उस समय अंग्रेज काल में सूबेदार का पद हासिल करना भी कोई छोटी बात नहीं थी आज भी सूबेदार का पद भारतीय सेना में बहुत उच्च माना जाता है। उस समय अंग्रेज काल में सूबेदार का पद हासिल करना निश्चित रूप से बड़ी बात थी, लेकिन जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने हिन्दुस्तान के, भारत मां के उन तमाम सारे सपूतों को आह्वान किया कि वे अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ दें। उन्होंने आह्वान किया हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने के लिए आजाद हिंद फौज (आई0एन0ए0) के अंदर भर्ती हों तो यह नौजवान था जिसने अंग्रेजों की नौकरी को ठोकर मारकर और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर आई0एन0ए0 का कार्यकर्ता बनकर, उसका सिपाही बनकर हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में शिरकत की। पहली बार इनको नेफा के अन्दर जापानी सेना द्वारा एक पुल का उड़ाते समय जो आई0एन0ए0 के दिशा–निर्देश पर आई0एन0ए0 हेड क्वार्टर पर कार्यवाही होनी थी, वह एक पुल को उड़ाते समय इनको गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर मुकदमा चला। एक बार जब ये पुनः रिहा हुए तो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर पुनः आई0एन0ए0 के अन्दर चले गये। उसके बाद दुबारा नेताजी के निर्देशानुसार आई0एन0ए0 की गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हुए इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और मैं कहना

चाहता हूं कि इस पूरे उत्तराखण्ड के लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा सिर ऊंचा करने वाली कोई बात नहीं हो सकती, न इस विधान सभा के लिए, न उत्तराखण्ड के लिए, न मुझ जैसे मामूली से इंसान के लिए जिसके क्षेत्र में उस नौजवान ने जन्म लिया था। जिसने मात्र साढ़े तेईस वर्ष की आयु में इसलिए फांसी पर चढ़ गया कि जब दिल्ली के लाल किले के अंदर उनकी ट्रायल चली और उनको सेन्सटेंस किया कि उनको आखिर में कहा गया कि अब तुम्हें बचने का एक ही रास्ता है कि तुम अंग्रेजी हुकूमत के सामने अंग्रेज वायसराय के सामने मर्सीपिटीशन करो, माफी मांगो, लेकिन उस नौजवान ने कहा कि हम जिस गर्मजोशी के साथ, जिस बुलंद इरादे के साथ हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारा विचार कभी खत्म नहीं हो सकता। हमने जंग हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ी है यदि हम फांसी के फंदे पर लटककर भी यदि हम हिन्दुस्तान को आजादी दिला सकते हैं, इससे इस देश के नौजवानों को प्रेरणा मिल सकती है, तो फांसी के फंदे को गले से चूमना पसंद करूंगा। एक मैं ऐतिहासिक तथ्य की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं। फांसी पर चढ़ने से पहले इनका वजन नापा गया था और फांसी के बाद, जब फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया और इनको उतारा गया तो इनके वजन को फिर नापा गया तो कुछ औंस इनका वजन बढ़ा हुआ मिला। इन्होंने फांसी के फंदे को इस दिलेरी के साथ, इस आत्मबल के साथ और इस खुशी–खुशी धारण किया कि उन्होंने भारत मां के चरणों में अपने हिन्दुस्तान के जंगे आजादी को अपने खून से सींचने का उनका संकल्प था, उसको पूरा किया।

मान्यवर, तो आप श्रीमन् 3 मई, 1945 के दिन इस नौजवान को जिसे हम शहीद केशरी चन्द्र के नाम से याद करते हैं, यह राष्ट्र याद करता है, श्री शहीद किसी परिवार का नहीं चाहे शहीद किसी समाज का नहीं होता शहीद राष्ट्र का है इसीलिए मैंने कहावत की "शहीदों के चिता पर लगेंगे मेले हर बरस, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा"। आज ही के दिन उनके पैत्रिक गांव के समीप रामताल गार्डन में उस क्षेत्र के और अड़ोस–पड़ोस के और उत्तराखण्ड के दूर–दूर से आ करके लोग शहीद मेले को मनाते हैं। इस क्षण जब मैं यहां पर भाषण कर रहा हूं उनकी स्मृति में उनकी शानदार जीवन्त कथा को सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, अभी भी वहां पर शहीद मेले का आयोजन चल रहा है और भारत की अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय दलीप सिंह भूरिया जी आज वहां पर मुख्य अतिथि हैं समारोह में ऐसे भारत मां के स्वाभिमान को ऊंचा करने वाले और हिन्दुस्तान के अग्रणी पंक्ति के क्रान्तिकारियों में जिनकी गिनती होती है मुझे इस बात का तो अफसोस है इस बात का मलाल भी है कि मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश के अन्दर रहकर कोशिश की कि उनकी एक शानदार स्मारक एक आदम कद साइज की मूर्ति वहां बने एक शानदार स्मारक वहां पर बने। बाकायदा सरकार का जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विभाग है वह उसके बारे में कार्यक्रम करे। मैं तो मा० मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस अदम्य साहस और अदम्य शौर्य से युक्त इस नौजवान की संस्कृति में भारत सरकार को सिफारिश की जाय कि उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया जाय। मैं, श्रीमन पुनः वीर शहीद केशरी चन्द्र को अपना श्रद्धा सुमन ज्ञापित करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, शहीद केशरी चन्द्र जी हमारे देहरादून जिले के उन दो–तीन शहीदों में से एक हैं, सम्भवतः 3 ऐसे शहीद हैं यहां पर जिन्होंने अपनी जान दी, जिनको फांसी लगायी गई और जो कि यहां के इतिहास के अन्दर अस्मरणीय हो गये हैं यह बात सही है। हमारे भाई चौहान साहब ने यह बात कही है कि उनकी स्मृति में यहां कुछ होना चाहिए। उत्तरांचल सरकार इस बात से पीछे नहीं हटेगी कि हम शहीद केशरी चन्द्र जी की स्मृति में वहां कोई न कोई जिस प्रकार आप चाहेंगे उस प्रकार की मूर्ति की स्थापना होगी। आप को सम्भवतः ज्ञात होगा कि वीर चन्द्र गढ़वाली जी के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद, हम वहां से टिकट उनकी बनवा कर लाये और उसका लोकार्पण भी मेरे द्वारा ही करवाया गया। इसी तरह से उनके लिए भी हम एक टिकट की बात करेंगे ताकि वह हमारी स्मृति में सदा–सदा के लिए रहें। मुख्य बात यह है कि मान्यवर कि आयु एक बड़ी बात होती है जो आयु परिपक्व हो जाती है वह व्यक्ति सोचता है कि कोई बात नहीं, उस को बहुत अधिक मोह नहीं रह जाता जान से। उस नौजवान व्यक्ति जिसने 23 बसंत देखे हैं और उसने उस समय क्षमायाचना करने को बिल्कुल घृणित कार्य समझा, उसने अपनी जान देना उचित समझा। आज के दिन 3 मई को उनका शहीद दिवस है, उनको याद करते हैं, मैं पूरे सदन की ओर से यह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए श्री केशरी चन्द्र जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे उत्तरांचल के अन्दर जो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, ऐसे प्रतिभा के लोगों को हम सम्मानित करें, समय–समय पर ऐसे अवसरों पर और भी ऐसी प्रतिभा के जो लोग स्वतन्त्रता संग्राम के समय बहुत आगे रहे हैं भले ही मान लीजिए वे शहीद नहीं हुए हों, उन लोगों को हम सम्मानित करें पूरे देश की आजादी के अन्दर जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपनी पढ़ाई–लिखाई, अपने बच्चों, अपने घरबार सब निछावर कर दिया देश की आजादी के लिए लड़े, ऐसे लोगों को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। मैं भाई चौहान जी की आवाज में आवाज मिलाते हुए सदन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हम उनकी स्मृति में भी थोड़ा समय खड़ा होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।

मान्यवर, इस सदन की भावना को व्यक्त करते हुए आप सब से निवेदन करता हूं कि हम उनकी स्मृति में भी थोड़ा समय खड़े होकर के उन्हें श्रद्धान्जलि अर्पित करें।

(2 मिनट का मौन)

श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है आप इस सदन के पहले स्पीकर हैं और जो आप करेंगे व परम्परायें बनेंगी आने वाली पीढ़ियों में, किसी भी पार्लियामेण्ट में देख लीजियेगा या विधान सभा में देख लीजियेगा, शोक प्रस्ताव सबसे पहले नेता सदन का आता है उसके बाद नेता विरोधी अगर हों तो वह बोलते हैं उसके बाद जितने दल हैं उनके नेता बोलते हैं और सब से आखिर में माननीय अध्यक्ष स्वयं बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो निधन के निदेश में होता है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट एवं श्री पूरन चन्द्र आर्या के आकस्मिक निधन पर श्रद्धान्जलि

श्री नित्यानंद स्वामी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य एवं डिप्टी लीडर भारतीय जनता पार्टी के उत्तरांचल के निवासी श्री गोविन्द सिंह बिष्ट एवं श्री पूरन चन्द्र आर्या जी के आकस्मिक निधन का समाचार हम सभी के लिए दुःख का विषय है। स्वर्गीय श्री गोविन्द सिंह बिष्ट अल्मोड़ा जनपद के बारा मण्डल विधान सभा क्षेत्र से पहली बार वर्ष 1957 में भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी हुये, श्री पूरन चन्द्र आर्या वर्ष 1977 में जनता पार्टी गठक दल जनसंघ के टिकट पर एक वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर विधान सभा क्षेत्र में निर्वाचित हुए अपने राजनैतिक जीवन काल में उन दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा अपनी कार्यशैली से अमिट छाप छोड़ी इनके निधन से उत्तरांचल राज्य की क्षति हुई है यह सदन दोनों नेताओं के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

मान्यवर, गोविन्द सिंह बिष्ट जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूं। देहरादून में 1963 में मेरे साथ बड़ा भारी जुल्म हुआ, पुलिस ने किया और इतना बड़ा जुल्म हुआ कि उसकी पूछ हाईकोर्ट तक सब जगह गई यह माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट जी उस समय डिप्टी लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के और उन्होंने इस मामले को विधान सभा के अन्दर उठाया विधान सभा में उन्होंने बहुत मजबूती से इस मामले को उठाया यहां तक कि एक–दो बार उन्होंने वाकआउट किया और वह इतने मजबूत लड़ने वालों में से थे। अभी मैं अल्मोड़ा गया वह अपनी बीमारी में भी मुझसे मिलने के लिए आये, उन्होंने अपने जीवन के अन्दर अपनी मजबूती जो विचारों की मजबूती है, जो उनके उद्देश्य हैं जिनके लिए वह लड़े जीवन भर, उनके लिए वह हमेशा दृढ़ रहे। अभी हाल में देहरादून आये काफी बीमार थे मेरे से मिलने आये उनका बड़ा मेरा प्यार था और मेरे पास वो आये तो मैंने देखा उनकी हालत बहुत खराब है मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपना इलाज करा लीजिए, मैंने अपने सहयोगी के माध्यम से यहां पर श्रीराम हॉस्पिटल स्वामी राम हॉस्पिटल जब वहां लगभग 15–20 दिन उनका वहां इलाज हुआ लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाये। वह बहुत मजबूत आदमी थे बहुत ही अपने इरादों के पक्के थे और उन्होंने आखिरी मिनट तक वहां पर अपने देह की मुस्कराहट को नहीं खोया हमेशा वह हंसते रहे, मैं उनके प्रति अपनी भावनायें व्यक्त करता हूं। मान्यवर, वह बहुत ही उच्च कोटि के हमारे नेता थे उनको हमने खो दिया।

मान्यवर, माननीय पूरन चन्द्र आर्या का भी इसी प्रकार का जीवन था। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए और अपने सिद्धान्तों के लिए लगातार संघर्ष किया। हम उनको भी सदैव याद करेंगे। मैं पूरे सदन की ओर से उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, श्री गोविन्द सिंह बिष्ट बहुत वरिष्ठ नेता थे। 1957 में वो भारतीय जनसंघ से चुन कर पहुंचे थे, तो इसका मतलब अपने क्षेत्र में वो काफी लोकप्रिय रहे होंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी दृढ़ता के बारे में जो जानकारी दी, मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से तो उनसे परिचित नहीं रही, परन्तु जो व्यक्ति एसेम्बली में भारतीय जनसंघ के द्वारा 1957 में अल्मोड़ा जैसे शैक्षिक रूप से बहुत जागरूक नगर से पहुंचा हो उसकी लोकप्रियता निश्चित रूप से बहुत जानी मानी होगी। उनका निधन हो गया, मुझे दुःख है, वो हमारे क्षेत्र के, उत्तराखंड के मजबूत व्यक्ति थे। श्री पूरन चंद आर्य 1977 में सदन में आए। हम लोग तब तक आ चुके थे, वो अक्सर यात्रा में मिलते रहते थे, बहुत जीवन्त थे, बहुत तेज थे और जल्दी काम कर लेने का उनका मन रहता था। दो बार वो एम0एल0ए0 चुने गये और किसी भी कार्य में पहल करके नेतृत्व करने की उनकी अभिलाषा सदैव बनी रहती थी, अल्प आयु में मर गए। जहां बिष्ट जी अपनी आयु लगभग पूरी कर चुके थे, वहीं पूरन चन्द आर्य बहुत अल्प आयु में मर गये, वो भी शायद बहुत लम्बे समय से बीमार थे। मैं दोनों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं और मुख्यमंत्री जी की भावना से अपने को सम्बद्ध करती हूं।

काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, जो नेता सदन ने विचार व्यक्त किये इन दोनों महान शख्सियतों के सम्बन्ध में, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। 1977 में मुझे श्री पूरन चन्द आर्य के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन् 77 में हम दोनों एक ही पार्टी में थे, मेरे पास अक्सर तशरीफ लाया करते थे। हम लोगों को डिक्टेट किया करते थे कि यह सही काम है, इसे करो। हम उनसे अक्सर गुजारिश किया करते थे कि आप बुजुर्ग हैं, हमें हुक्म दे देते, हम हाजिर हो जाते। तो इस तरह के लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। दुःख होता है, मैं, इंदिरा जी ने जो विचार व्यक्त किये उनसे अपने को जोड़ते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन और प्रतिपक्ष के हमारे नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय श्री गोविन्द सिंह बिष्ट जी अपनी छाप अपने कृत्यों के द्वारा छोड़ गये, वो इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है। 1957 में भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उस समय चुना जाना इस बात का प्रतीय है कि वो कितने लोकप्रिय रहे होंगे, उनकी कार्यशैली से कितने लोग प्रभावित रहे होंगे। वे "सादा जीवन, उच्च विचार" के हामी थे। उनके निधन से हमारे बीच से ऐसा राजनेता चला गया जिसने जीवनपर्यन्त समाज की सेवा की। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। इस तरह से श्री पूरन चन्द आर्य दो बार विधानसभा में चुन कर आये। जैसा काजी जी ने कहा, उनका अपना एक प्रभाव था, अपनी एक शैली थी, कार्य करने की। जो उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किये वो अपने आज में अमूल्य हैं। उनके प्रति भी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और

आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, वह भी आज मैं समझता हूं, एक मिसाल है। उनके प्रति भी मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन, नेता कांग्रेस, नेता समाजवादी पार्टी द्वारा रखे गये शोक प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, मुझे व्यक्तिगत तौर से श्री गोविन्द सिंह बिष्ट और श्री पूरन चन्द्र आर्य जी से परिचित होने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उत्तरांचल में रहते हुए कभी कुमायूं में जाने का अवसर मिला, कभी विधान सभा की कार्यवाहियों के पुराने अंशों को पढ़ने का अवसर मिला। इसे देखकर यह आभास जरूर होता था कि वे जमीन से जुड़े हुए और आम आदमी से सरोकार रखने वाले व्यक्ति थे। अल्मोड़ा जैसे शिक्षा से समृद्ध स्थान से वे विधान सभा का प्रतिनिधित्व करते थे, जाहिर होता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी रही होगी। मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता कांग्रेस द्वारा व्यक्त की गई शोक संवेदना से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं नेता सदन, माननीय नेता समाजवादी पार्टी, माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने जो शोक संवेदना जाहिर की है, मैं उसके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री गोविन्द सिंह बिष्ट के आकस्मिक निधन से बहुत ही ज्यादा क्षति हुई है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। श्री बिष्ट जी उस समय जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते थे। अपनी सहृदयता और दयालुता से वे अल्मोड़ा से विधायक चुने गये। मुझे उनके साथ संगठन का कार्य करने का अवसर भी मिला। उनमें दयालुता और सहृदयता इतनी ज्यादा थी कि जब वे कहीं जाते तो उनके कन्धे पर एक झोला लटका रहता था, उसमें टाफियां होती थीं, जहां भी बच्चे दिखे वे उन्हें बच्चों को बांट दिया करते थे। श्री बिष्ट बहुत ही कर्मठ और जुझारू व्यक्ति थे। आज तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उन्होंने कठिन समय में जो काम किये हैं।

मान्यवर, उस समय पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जनपद में था ऐसे दुरूह समय में कठिन रूप में कार्य किया उनकी क्षति आज उत्तराखण्ड क्षेत्र के निवासियों और नवसृजित राज्य में अपूर्णनीय है उन्होंने एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री पूरन चन्द्र 1977 में जनता पार्टी के टिकट से चुने गये थे। उनका भी बागेश्वर जो अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्र था प्रतिनिधित्व किया और आज 1991 में हम दोनों को एक साथ विधान सभा में कार्य करने का मौका मिला था। आर्य जी अपनी बात में अपने क्षेत्र की जनता के लिए सदैव एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है मैं उनको भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारी ओर से अपने शोक संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री रघुनाथ चौहान–

माननीय नेता सदन, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता समाजवादी पार्टी, नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय चौहान जी और कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ और स्वर्गीय विष्ट जी जो बारामण्डल क्षेत्र के विधायक रहे और जिनका जन्म 18 मई, 1918 को जनपद अल्मोड़ा के भैसियाछना गांव में हुआ था श्रीमन उनकी प्रारम्भिक शिक्षा वहीं गांव से हुई थी और माध्यमिक शिक्षा उन्होंने अल्मोड़ा से प्राप्त की उन्होंने इलाहाबाद से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और वकालत उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1946 में वकालत शुरू की उसके बाद और लगातार सामाजिक कार्यों में निरन्तर योगदान रहा। 1956 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की और 1957 में पहली बार भारतीय जनसंघ के विधायक चुने गये इतना ही नहीं, वह स्पष्टवादी थे। मान्यवर, जब विधान सभा में वक्ता के रूप में गये उनकी विद्या को देखकर उप नेता उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में चुना और वहां जो हमारे तत्कालीन सरकार के द्वारा जो जनविरोधी नीतियां सौंपी जाती थी उसके लिए संघर्ष भी करते थे। मान्यवर, दूसरी बात उनमें यह थी कि वे गरीब छात्रों के मसीहा माने जाते हैं उन्होंने अनेक छात्रों को निःशुल्क स्कूल भेजना, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा देकर अपने यहां पर विद्या अध्ययन कराया। आज उनके द्वारा पढ़ाये गये छात्र ऊंचे ओहदों पर हैं और इसी प्रकार विष्ट जी हरामुख प्रवृत्ति के थे एक तरह से उन्हें दानशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और अभी हाल में मा0 मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा आये थे तो मा0 मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया, शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया था और 1991 और 92 तक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे। मान्यवर, जिन्होंने समाज की सेवा के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे उनका 85 वर्ष की अवस्था में 3 मई को निधन हो गया एक अपूर्णनीय क्षति पूरे जिले के अन्दर नहीं पूरे देश में हुई है इसे प्रतिपूर्ति करना सम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूरन चन्द्र आर्य जी 1977 में उसके बाद 1991 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उनसे हमारा बहुत ज्यादा लगाव रहा 1971 में जब वह शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब हमारे अल्मोड़ा जिले में डिग्री कालेज हुआ करता था वह आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध था और वह महासचिव के पद पर चुनाव लड़े थे हमने उनको सपोर्ट किया था और वह जीते थे। वह ओजस्वी प्रवृत्ति के नेता थे क्षेत्र की समस्याओं को निरन्तर उठाते रहे और उनका समाधान करते रहे।

उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्य वो रहे–1977, 1991 में। हम उनको आप सब की ओर से अपनी ओर से आप सब के साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हू और आपसे निवेदन करता हू कि हमारी भावना से उन दोनों दिवंगत आत्माओं को, परिवारों को हमारी शोक संवेदना आप पहुंचा दें और ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को शक्ति प्रदान करें और उनके परिवार को शक्ति दे।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो शोक प्रस्ताव माननीय नेता सदन द्वारा रखा गया और जो विचार माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य नेतागणों द्वारा रखा गया मैं उस को अपने से सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर,

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट जी जो आज हमारे मध्य नहीं हैं उनको मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से जानता था, क्योंकि सन् 1991 में जब जनपद नैनीताल और बंशीनगर एक ही था तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था और वह बागेश्वर और अल्मोड़ा जो जनपद था उस जनपद को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। मान्यवर, बचपन से ही जुझारू प्रवृत्ति के धनी श्री बिष्ट जी 57 में भारतीय जनसंघ से विधान सभा में चुनकर आये इससे ही जैसा सभी ने कहा उनका लोकप्रियता का पता लग सकता है। 57 में जब जनसंघ को बड़े-बड़े शहरों तक भी लोग नहीं जानते थे वहां बारामण्डल क्षेत्र से चुनकर वो आये उनके बारे में जितना हम कहें उतना कम है मैं समझता हूं कि एक बहुत लम्बी श्रृंखला आज भी उनके पढ़ाये छात्रों की हमको मिलते हैं। अधिकारी, कर्मचारी के रूप में हम को दिखते हैं। निःशुल्क अपने पैसे से उनको पढ़ाकर, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था करके उनको पढ़ाया-लिखाया, बहुत ही हसमुख प्रवृत्ति के आदमी आदरणीय बिष्ट जी एक प्रखर बक्ता के रूप में विधान सभा में रहे। उच्च नेता रहे और जहां भी उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया वहां अपना नाम कमाया। पूरे उत्तरांचल में लगभग एक बहुत बड़ी क्षति उनके निधन से हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अल्मोड़ा गये थे तो आपने उनको सम्मानित भी किया था और जिस दिन उनका निधन हुआ इत्तिफाक से मैं अल्मोड़ा में था उससे पूर्व जब वो यहां आये थे तो उनसे वार्ता करने का मुझे मौका मिला। उनके निधन से जो क्षति हुई है हम को नुकसान हुआ है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को मैं क्या कहूं उनकी स्थिति यह थी कि उन्होंने समाज के कारण से विवाह तक भी नहीं किया। उनके मात्र एक भतीजे दिल्ली में हैं और एक बहन हैं। उनके परिवार को यह सब सहन करने की शक्ति भगवान दे और जो क्षति हुई है उसके लिए उनके परिवार को ताकत मिले। साथ ही श्री पूरन चन्द्र आर्य जो 77 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधान सभा में गये और 91 में हम लोगों के साथ उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी के विधान सभा में भी साथ रहे। बहुत ही अल्प आयु में उनका निधन हुआ वह भी एक प्रखर वक्ता व्यक्ति थे आप दोनों को सभी नेताओं ने जो शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और माननीय सदन में शोक प्रस्ताव उनके लिए कहा है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"-

मान्यवर, माननीय नेता सदन जो शोक प्रस्ताव आपने गोविन्द सिंह बिष्ट जी और पूरण चन्द्र आर्या जी के निधन का रखा है उनसे सम्बद्ध होते हुए सभी नेतागणों ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उससे भी सम्बद्ध होते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि गोविन्द सिंह बिष्ट से मेरा सम्बन्ध 1962 में हुआ था और लगातार सम्बन्ध बना रहा वह एक ही क्षेत्र के नेता नहीं थे बल्कि एक विचारधारा के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे।

मान्यवर, वो उत्तर प्रदेश में अच्छे पार्लियामेंट्रियन के रूप में जाने जाते थे और साथ ही उत्तरांचल के लिए भी उन्होंने अनेकों बार संघर्ष किया था और इतना सब होते हुए भी अविवाहित रहे। अपने घर में अनेक बालकों को रखकर उन्हें पाला-पोसा तथा उनकी पढ़ाई-लिखाई करायी और समाज के विभिन्न कृत्यों को करते हुए वे हमेशा अनेकों लोगों को अपने पीछे लगाते रहे। इसी तरह से श्री पूरन चन्द जी को मैं 1976 से जानता था और सौभाग्य से जब हम चुनाव के लिए कैंडीडेट खोजते थे तो मैं उनके

पास उस समय गया था और 1977 तथा 1991 में भी दोनों बार उनके यहां जाकर उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार कराया था। आज वो दोनों जुझारू नेतृत्व हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और हमारी इस संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री नारायण राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत इस निधन के प्रस्ताव पर माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता समाजवादी पार्टी और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी तथा चौहान जी, माननीय पुनेठा जी, माननीय गांववासी जी, माननीय भगत जी ने जो विचार, जो संवेदनाएं प्रकट की हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि श्री गोविन्द सिंह बिष्ट जी मूलतः बागेश्वर जनपद के निवासी थे और उन्होंने अपने घर पर गरीब बच्चों को आश्रय देकर उन्हें आगे बढ़ाया। गरीबों के एक बहुत बड़े समर्थन के रूप में वो जाने जाते थे। वैसे तो दीवानी और फौजदारी दोनों ही मामलों में वह वकालत करते थे, मुझे भी उनके साथ जिला न्यायालय में वकालत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

(मोबाइल फोन की ध्वनि सुनाई पड़ी)

श्री अध्यक्ष–

मैं मार्शल को निर्देशित करता हूं कि वो कृपया फोन जब्त कर लें।

श्री नारायण राम दास–

वकालत के क्षेत्र में भी श्री बिष्ट बहुत बहादुरी के साथ तर्कों को रखते थे और न्याय के प्रति इतने समर्पित थे कि किसी से समझौता नहीं करते थे और जब उनको पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी दी जाती थी तो उसे भी वो बड़ी ईमानदारी और लगाव के साथ पूरा करते थे।

मान्यवर, चूंकि श्री बिष्ट जी बागेश्वर जिले के मूल निवासी होने के कारण वर्ष 1957 में उ0प्र0 विधान सभा में जनसंघ के उप नेता के रूप में रहे तथा उनसे बागेश्वर को गौरव प्राप्त था। बागेश्वर की जनता के सहयोग से मुझे भी उत्तर प्रदेश विधान सभा में आने का अवसर मिला। विधायक कोटे से जो 50 किलोमीटर की सड़क 1997 में दी गई थी, उसमें से 5 कि0मी0 की सड़क मैंने श्री बिष्ट जी के गांव के लिए भी स्वीकृत की थी। मेरी इच्छा थी कि श्री बिष्ट जी के जीवनकाल में सड़क उनके गांव तक पहुंचे। सरकार में रहते हुए भी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत काफी प्रयासों के बावजूद भी उस सड़क को वन संरक्षण अधिनियम से मुक्त नहीं करा सका। आज भी श्री बिष्ट जी के गांव तक सड़क नहीं बन सकी है। श्री बिष्ट जी अपनी बहन के साथ अल्मोड़ा में रहते थे। उसके पास अपनी निजी सम्पत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। मा0 नेता सदन से मेरी प्रार्थना है कि उस सड़क को यथाशीघ्र बनवाने के लिए आदेश देने की कृपा करें और इन्हीं शब्दों के साथ स्व0 बिष्ट जी की दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी बहन, भाईयों और शुभचिन्तकों को इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। स्व0 पूरन चन्द्र आर्य दो

बार विधायक रह चुके हैं, आज वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके छः बच्चे हैं, सबसे बड़ी लड़की एम०ए० पास है, बाकी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनकी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है और परिवार में कोई भी सदस्य रोजगार में न होने के कारण उनकी विधवा पत्नी के सामने छः बच्चों के पालन–पोषण और लड़कियों की शादी की समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करता हूं और इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक संघर्षों के बाद जो व्यक्ति विधान सभाओं में पहुंचते हैं, वे अपने परिवार को डिजर्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के निधन पर उनके परिजनों के लिए सरकार को कोई सम्मानजनक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, यह भी प्रार्थना करता हूं।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ स्वर्गीय श्री पूरन चन्द्र आर्य को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि स्वर्गीय आर्य जी के संबंध में जो उदगार प्रकट किये गये हैं उसे कृपया स्व० आर्य के परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, सदन की भावनाओं को देखते हुए श्री गोविन्द सिंह बिष्ट जी के घर को सड़क बनाने वाली बात है उसे बना दिया जायेगा। उनके नाम से उस सड़क को रखा जायेगा। माननीय आर्य जी के परिवार के किसी सदस्य को सेवा में ले लिया जायेगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, गोबिन्द सिंह बिष्ट जी और श्री पूरन चन्द्र आर्य जी के प्रति इस सदन ने श्रद्धा संवेदना व्यक्त की है यद्यपि हमारे दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके थे पर चूंकि गोविन्द सिंह बिष्ट जी से हम सब लोगों का कुछ ऐसे रिश्ते नाते रहे थे वे राजनीतिक कार्यकर्ता तो रहे हैं, राजनीतिक नेता भी रहे परन्तु व्यक्तिगत जीवन में सन्निकट आये मैं सोचता हूं कि अजय जी बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वे उनके बहुत सन्निकट रहे। बड़ा कठिन होता ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना मैं उनको बहुत प्रारम्भ से जानता हूं। बहुत कुछ राजनीति के और सामाजिक क्षेत्र में तो व्यक्तिगत रूप से आज जहां हों यह श्रेय उन्हीं को जाता है। मा० मुख्यमंत्री जी की भी इतनी निकटता थी कि शायद उनके अन्तिम समय में जब हमने उनके इलाज की बात कही तो सचमुच शायद उनके पास पैसे भी नहीं थे। वह अपना इलाज कैसे करा सकते। यह तो संयोग था मैं मा० मुख्यमंत्री जी के पास उनको ले गया और अन्तिम क्षणों में उनका इलाज भी हुआ था। वह एक व्यक्ति के रूप में एक आदर्श व्यक्ति थे विधायक के रूप में अगर उनका वर्णन करना हो मैं सोचता हूं आज उनसे सब कुछ संज्ञान लें मुझे सीधे बोले कि भगत तुम लखनऊ के विधान सभा के पुस्तकालय में बैठते हो? वह बोले विधान सभा का जो पुस्तकालय है वह इतना समृद्धिशाली पुस्तकालय है कि आप तो उसमें कितनी देर बैठते हो, कितनी किताबें वहां पढ़ते हो, कितना अध्ययनशील होना चाहिए, किस प्रकार अपने ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। उसके प्रति सजगता को देखते हुए मैं आश्चर्यचकित रह गया उनको एक विधायक के रूप में मैंने उनके साथ सन् 57–58 और 59 में सड़क से मैंने उनके साथ कई यात्रायें की जब मैं पढ़ता था।

यानी बारिश हो गई, बरफ पड़ गई, रहने की जगह नहीं है, राजनीति उस समय कितनी प्रदर्शित थी हम सब लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। उस जमाने में तो अभी भी बहुत से लोग एक-दूसरे के प्रति बात नहीं बोलते हैं, अभी भी बहुत सी चीजों के बारे में लोग पचा नहीं पाते हैं उस जमाने में बड़ा कठिन था जनसंघ होना लेकिन ऐसे समय भी उन सब ने कितने ही बार पैदल यात्रा करके कुमायूं का, गढ़वाल का दौरा किया है। निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक विधायक के रूप में उनका जो रोल रहा है शायद इस सदन के अन्दर हम सब लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है जिन्हें उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए दिया है और अन्तिम सांस तक भी जब कुछ भी नहीं थे तो भी सीधे माननीय अटल बिहारी और माननीय आडवाणी जी शायद उनके कपड़े भी फटे, जूता भी फटा लेकिन उनके वहां पहुंच गये वहां उनको गले लगा लेते थे। कारण यह था कि 1957 से लगातार उनकी प्रतिभा जिसे उन्होंने उपयोग किया था उनकी प्रतिभा का उनको अनुभव था तो ऐसे व्यक्ति का हमारे उत्तरांचल से उठ जाना, मैं सोचता हूं कि मेरे लिए तो यह निजी लॉस है ही परन्तु समाज के लिए भी लॉस है। ऐसे व्यक्ति का हम लोगों के बीच से चले जाने से हम लोगों का जो नुकसान हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें। श्री पूरण चन्द्र आर्य यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ते-पढ़ते 1977 में उनको जनता पार्टी का टिकट दिया गया और विधायक बने और दोबारा फिर 1991 में विधायक बने। निश्चित रूप से बड़े ही काफी परिश्रमशील और जुझारू व्यक्ति थे और आज असमय उनका निधन हुआ, बच्चों को काफी कठिनाई है, मेरे पास उनके बच्चे आये थे। मैं उनको काफी निकट से जानता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परिवार के लिए कुछ देने की घोषणा की और भी शायद हम सब लोग अपने सरकारी कोष से सहयोग करेंगे। मैं श्री पूरन चन्द्र आर्य को भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी-

मान्यवर, शहीद केशरी चन्द जी के लिए हम लोग उनके घर के पास वाली सड़क भी इनके नाम से बनवायेंगे और एक मूर्ति की स्थापना उनकी यादगार में बनवायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन द्वारा रखे गये इस शोक प्रस्ताव के साथ माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता बहुजन समाजवादी पार्टी, माननीय नेता समाजवादी पार्टी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी तथा इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपनी भावनाओं को सम्बद्ध किया है। श्री गोविन्द सिंह बिष्ट तथा श्री पूरन चन्द्र आर्य जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं और उत्तरांचल के निवासी हैं इन दोनों दिवंगत सदस्यों की आत्मा की शान्ति के लिए और उनके परिजनों तक इस सम्मानित सदन की भावनाओं को अवगत कराया जायेगा और सरकार की उस भावना से भी अवगत कराया जायेगा जो घोषणायें माननीय नेता सदन ने इस सदन के माध्यम से की हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया कुछ क्षण के लिए खड़े होकर उनकी मृतक आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(2 मिनट का मौन)

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री अम्बरीष कुमार जी की है, हरिद्वार जनपद के महाविद्यालयों का सम्बद्धीकरण हेमवतीनन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) से किये जाने के सम्बन्ध में, इसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं। दूसरी सूचना, श्री हरबंश कपूर की है, देहरादून नगर क्षेत्र में सीवर के निस्तारण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इसे मैं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

(अब हम उठते हैं, कल पुनः 11.00 बजे बैठेंगे)

इसके बाद सदन 4 बजकर 40 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 4–5–2001/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

दिनांक 03–05–2001

सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधान सभा/280–27–07–2002–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।